ANNUAL REPORT
वार्षिक प्रतिवेदन
2023-24

बिहार सरकार

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ट संख्या
1.	जैव विविधताः प्रस्तावना	1
2.	जैव विविधता ह्रास की आर्थिक लागत	2
3.	जैव विविधता की संकल्पना	3
4.	जैव विविधता के प्रकार	3–4
5.	जैव विविधता अधिनियम–2002	5
6.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की मुख्य विशेषताएँ	5–6
7.	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का गठन	10
8.	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के कार्य	11–12
9.	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की बैठक	13
10.	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के वर्ष 2023–24 के प्रमुख कार्य	
	(i) नगर निकाय में नगर निगम / नगर परिषद एवं नगर पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन	14–19
	(ii) बिहार में विरासत वृक्षों का सत्यापन एवं सर्वेक्षण	22–34
	(iii) e–जन जैव विविधता पंजी तैयार करना (ePBR)	37–43
	(iv) बिहार में देशज बीजू आम की जैविक विविधता का विस्तार सरक्षंण की आवश्यकता तथा जैव विविधता ह्रास का निदान की प्रतिवेदन	46–57
	(v) जन जैव विविधता पंजी का Updation/Verification	60–66
	(vi) जैव विविधता महत्व के पौधों का रोपण	67–68
11.	अंतराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2023	69–73
12.	I.T Initiative by Bihar State Biodiversity Board	74–75

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ट संख्या
13.	(i) बिहार राज्य में संबधित जैव विविधता प्रबंधन समिति या लाभ दावेदारों के लाभ साझाकरण घटक के वितरण के लिए वित्तीय मंजूरी।	76–78
	(ii) लाभ दावेदारों के लाभ साझाकरण हेतु प्रचार–प्रसार	79
14.	सारण जिला (छपरा) का जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन, ग्राम पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय जैव प्रबंधन समिति के अध्यक्षों/सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण।	80–85
15.	जैव विविधता संबंधी कार्यक्रमों का अखबार का कतरन (Paper Cutting)	86–89
16.	बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली में संशोधन	90
17.	बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली में (संशोधन) नियमावली, 2021	90–92
18.	बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 में नियम–25 के अन्तर्गत सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उपवन संरक्षक को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ नामिक पदाधिकारी (Nodal Officer) घोषित	93–94
19.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	95
20.	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् वर्ष 23–24 का स्वीकृत बजट तथा वर्ष 2024–25 का प्रस्तावित बजट	96
21.	Livestock Biodiversity of Bihar Abstract	97–108

जैव विविधता : प्रस्तावना

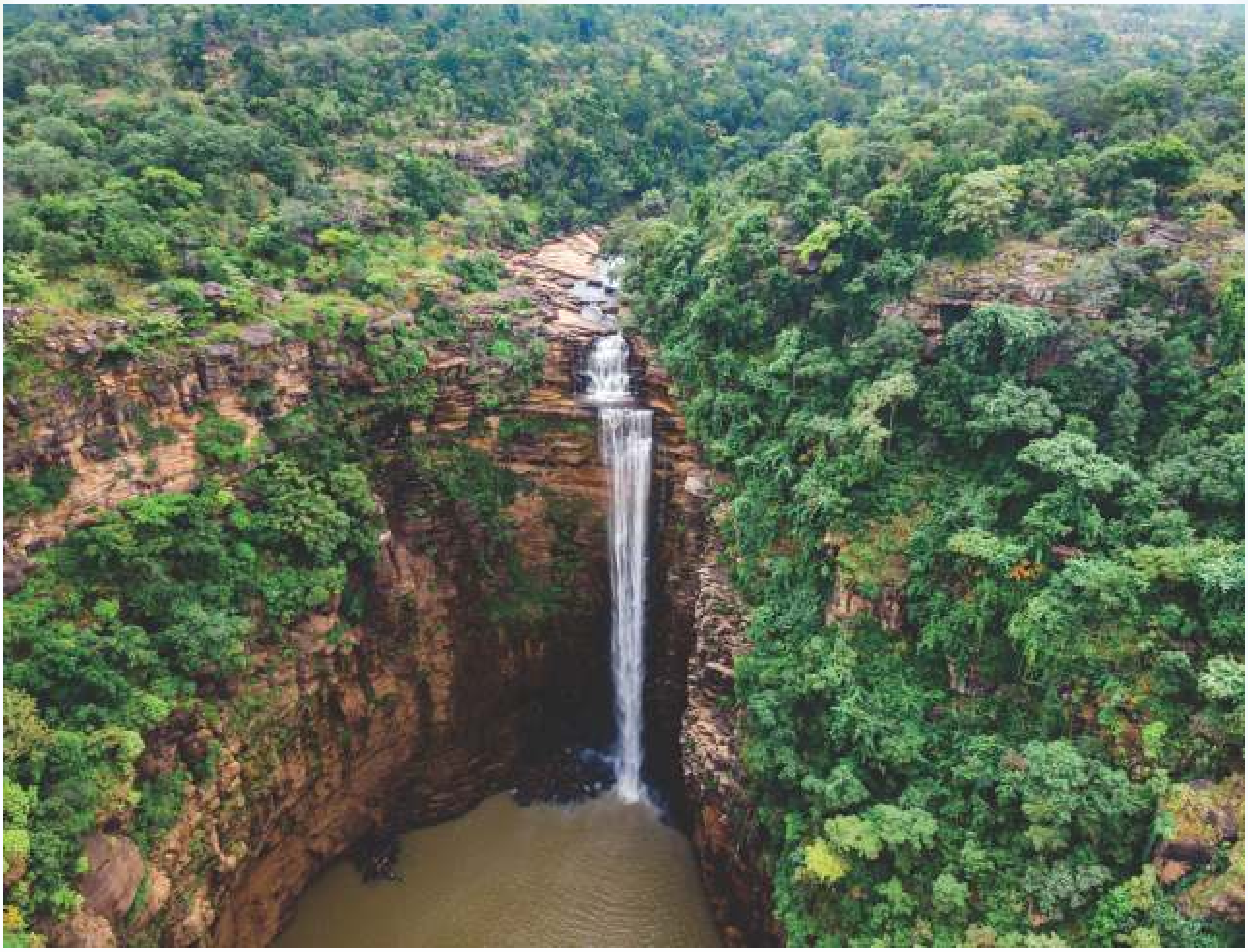

पृथ्वी के जैविक संसाधन मानवता के, आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैविक विविधता वर्त्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए वैश्विक (Global) संपत्ति है। मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजातियों का विलुप्त होना खतरनाक दर से जारी है। प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा इतना बड़ा कभी नहीं रहा, जितना आज है।

जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पौधों तथा जानवरों के पारिस्थिकी तथा आनुवंशिकी महत्व को संदर्भित करती है, जो पूरे विश्व में या एक विशिष्ट आवासीय क्षेत्र में यह पाये जाते हैं। जैव विविधता को आम–तौर पर छत्र (Umbrella Term) शब्द माना जाता है, जिसमें सभी जीव जन्तु सम्मिलित है विशेषतः उनकी संख्या, विविधता तथा परिवर्तनशीलता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार जैव विविधता विशिष्ट अनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तन्त्र के स्तर का मापक है। प्राकृतिक परिवेश की सामंजस्यपूर्ण स्थिति के लिए उच्च स्तर की जैव विविधता का होना आवश्यक है। यह मनुष्यों को उनकी बुनियादी जरूरतों–जैसे भोजन, आश्रय, दवाईयों आदि प्रदान करके उनके अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप विश्व की जैविक प्रजातियाँ तेजी से विलुप्त होती जा रही है। पर्यावरण वैज्ञानिको के एक आकलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन की इस रफ्तार से 2050 तक वर्तमान की 30% प्रजातियाँ विलुप्त हो जायेंगी। एक अन्य अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 1,40,000 प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है। National Academy of Science (USA) में प्रकाशित Gerardo Ceballos et. al. के शोध पत्र में वर्तमान समय को "Sixth Mass Extinction" की संज्ञा दी है। पूर्व में भी बड़ी संख्या में प्रजातियाँ विलुप्त हुयी है, किन्तु वर्त्तमान संकट मानव जनित है तथा विलुप्त होने की अवधि अत्यन्त कम है। जैव विविधता में इस प्रकार ह्रास होने से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही है तथा भविष्य में इन समस्याओं की गंभीरता इतनी बढ़ जायेगी कि उसे पुनः वर्त्तमान स्वरूप में लाना संभव नहीं रह जायेगा।

जैव विविधता ह्रास की आर्थिक लागत
(Economic costs of biodiversity loss)

पारिस्थितिकी तन्त्र में जितनी अधिक प्रजातियाँ होगी वह उतना अधिक स्थिर होगा तथा उसमें जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को कम करने की क्षमता होगी। जैव विविधता के ह्रास के फलस्वरूप हमारी परिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (Ecosystem Services) जैसे परागण, जल तथा मृदा संरक्षण आदि में कमी आयेगी।

खाद्य सुरक्षा (Food Security) में कमी

जैव विविधता में कमी केवल वनों के विनाश तथा जीवों के शिकार से ही नहीं होती है। नयी–नयी प्रजातियाँ भी पारिस्थिकी तन्त्र में देशज (Native) प्रजातियाँ के लिए खतरा बन जाती हैं। कालान्तर में देशज प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती है तथा नयी प्रजातियों में बीमारियों, सूखा तथा जलवायु परिवर्तन जनित संवेदन शीलता बढ़ जाती है।

मानव में बीमारियों का प्रसार

जैव विविधता में ह्रास मानव स्वास्थ्य तथा बीमारियों के प्रसार में भी सहायक है। बीमारियों के प्रसार करने वाले जन्तुओं की संख्या बढ़ जाती है तथा ऐसे जीव (Pathogens carriers) Critical तथा Fragmented habitats में बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। इस प्रकार यह मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो जाता है।

आजीविका का नुकसान

किसानों तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यक्तियों पर जैव विविधता ह्रास का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी तन्त्र के कमजोर होने का सीधा प्रभाव कृषि के उत्पादन तथा उत्पादकता पर पड़ता है तथा उससे निजात पाने के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि करनी होती है।

जैव विविधता की संकल्पना
(Concept of Biological Diversity)

- जैव विविधता को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। Convention on Biological Diversity (CBD) के अनुसार Biodiversity refers to 'The variability among living, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic system and the ecological complexes of which they are part, this includes diversity within species, between species and of ecosystems."

- Biological Diversity Act 2002 में भी CBD द्वारा दी गयी परिभाषा को ही कुछ परिवर्तन के साथ रखा गया है। "Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources and the ecological complexes of which they are part and includes diversity within species or between species and of eco-systems."

- Global Biodiversity Strategy (GBS) द्वारा जैव विविधता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। " The totality of genes, species and ecosystem in a region."

- Convention on Biological Diversity (CBD) तथा Global Biodiversity Strategy (GBS) द्वारा दी गयी परिभाषाएँ विभिन्न स्तरो के बाहय आपसी संबंध स्पष्ट नहीं करती वस्तुतः जैव विविधताः जीन (Gene level) लेवल के उपरी स्तर यथा Species तथा Ecosystem लेवल पर परिलिक्षित होती है। कभी–कभी जो Properties ऊपर के स्तर पर होती है वह Gene लेवल पर अदृष्य हो जाती है। अतः पूरी जैव विविधता को Scales of Organisation तथा Levels of Interaction दोनों स्तर (Level) पर समझना होगा।

जैव विविधता के प्रकार

- मुख्यतः जैव विविधता, आनुवांशिकी (Genetic) प्रजातीय (Species) एवं पारिस्थितिकी (Ecological) होती है।

- आनुवांशिकी जैव विविधता (Genetic diversity), within species diversity or intra or infra specific diversity) के अन्तर्गत आती है। इसका आकलन DNA based marker तकनीक से किया जाता है।

- प्रजातीय जैव विविधता (Species diversity) जैव विविधता तंत्र की मुख्य इकाई है। इसके मुख्य सूचकांक–Species Richness, Species Abundance तथा Species evenness, Avalanche Index, Species/Area Relationship है।

- Ecosystem or Ecological diversity का आकलन कठिन होता है, क्योंकि इसमे Biotic तथा Abiotic दोनों अवयव (Component) होते हैं। विभिन्न प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया है।

- (i) Biogeographical biomes-14 types, 193 provinces.
- (ii) Hierarchical levels for characteristic ecosystem: Domain (4), Divisions, Provinces.
- (ii) Groups 8, subdivided into 46 ecosystems, 0.5° x 0.5° grid (one grid cell in the equatorial region includes 3000 sq. km.) Life zones -7, 25 Ecosystem types

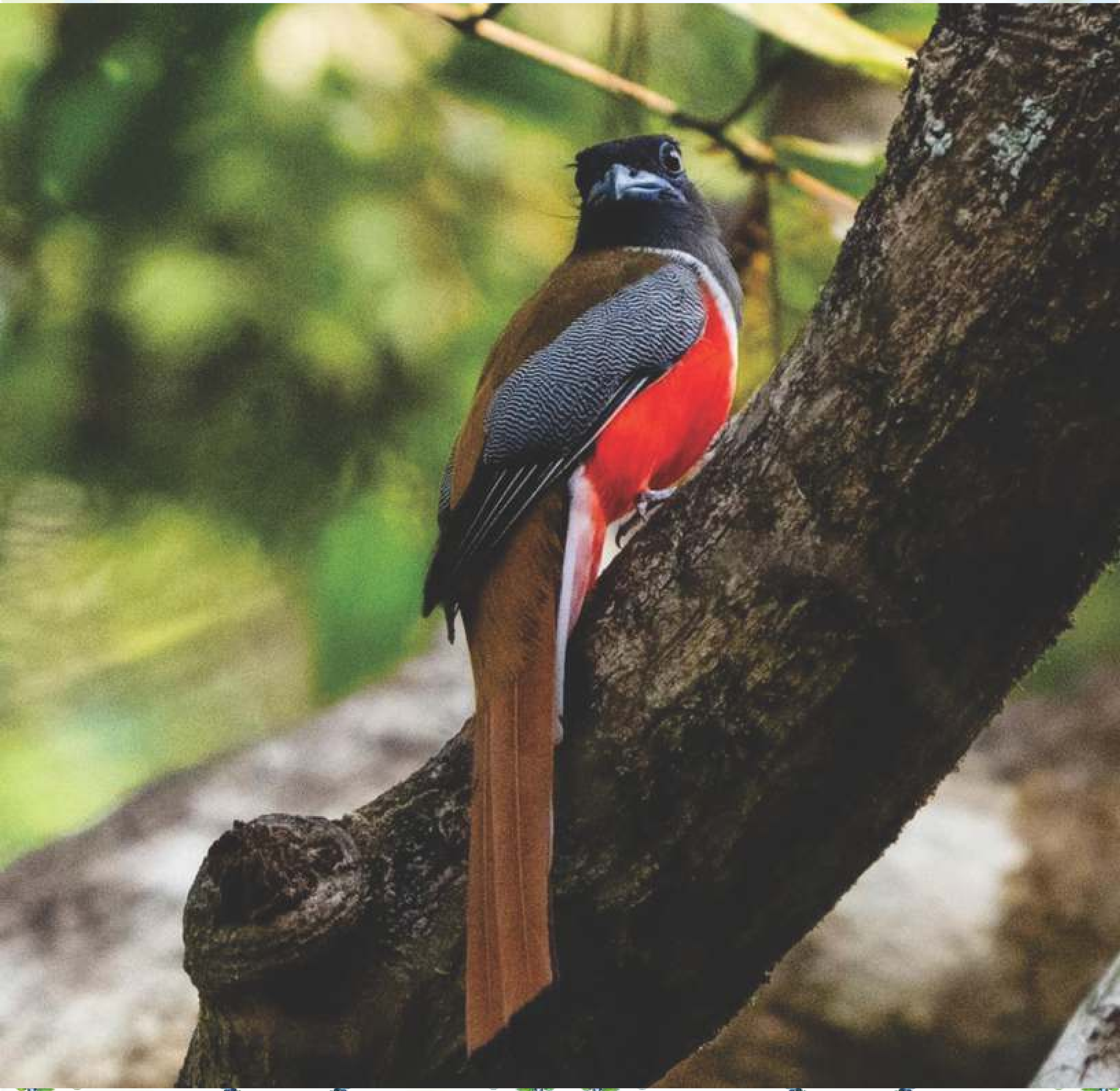

जैव विविधता अधिनियम-२००२
(Biological Diversity Act, 2002)

संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा जैव विविधता सम्मेलन 1992 में लिए गये निर्णय के आलोक में, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम–2002 अधिसूचित किया गया एवं इसके कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता नियमावली, 2004 अधिसूचित की गयी। इस अधिनियम के अनुच्छेद–63 के उप अनुच्छेद–1 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं०–2/वन्यप्राणी–14/16–188 (ई०), प० व०, दिनांक–27.03.2017 द्वारा बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 अधिसूचित की गयी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० S.O.-120(ई०), दिनांक–07.01.2009 द्वारा का॰ आ॰ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी स्तर तक के पदाधिकारियों को अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन दण्डणीय अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। (अनुलग्नक –1)

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या पर्या०/वन–07/2007–992 (ई०) दिनांक–28.08.2020 द्वारा राज्य के सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु नाभिक पदाधिकारी घोषित किया गया है। (अनुलग्नक –2)

जैव विविधता अधिनियम, २००२ की मुख्य विशेषताएँ

अधिनियम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है:

- किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन (भारत में स्थित अथवा नहीं) द्वारा शोध या व्यावसायिक उपयोग हेतु भारत में उत्पादित किसी भी जैव संसाधन की प्राप्ति।
- भारत में पाए जाने वाले या भारत से प्राप्त जैव संसाधन से संबंधित किसी भी प्रकार के शोध परिणामों का स्थानांतरण।
- भारत से प्राप्त जैव संसाधनों पर किये गए शोध पर आधारित किसी भी आविष्कार पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का दावा।

अधिनियम ने जैव संसाधनों तक पहूँच को विनियमित करने के लिये एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की:

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)।
- जैव विविधता प्रबंधन समिमियाँ (BMC) (स्थानीय स्तर पर)।

अधिनियम इन प्राधिकरणों हेतु देश के जैव प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित किसी भी अनुसंधान परियोजना को निष्पादित करने के लिये विशेष वित्त एवं एक पृथक बजट का प्रावधान करता है।

- यह जैव संसाधनों के धारणीय उपयोग की निगरानी करेगा तथा वित्तीय निवेश व प्राप्तियों पर नियंत्रण रखेगा तथा पूंजी एवं बिक्री की उचित व्यवस्था करेगा।

इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के परामर्श से केन्द्र सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी:

- संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूचित करेगी और उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित करने के साथ ही पुनर्वास को सरंक्षित करेगी ।
- जैव संसाधनों की विभिन्न श्रेणियों के लिये कोष के रूपा में संस्थानों को नामित करेगी।
- अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय एंव गैर–जमानती रूप में निर्धारित करना।
- इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश अथवा लाभ के बँटवारे के निर्धारण से संबंधित किसी भी शिकायत को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) को ले जाया जाएगा।

अधिनियम से छूट

अधिनियम में उन भारतीय जैव संसाधनों को शामिल नहीं किया गया है जिनका सामान्य वस्तुओं के रूपा में व्यापार किया जाता है।

- इस प्रकार की छूट केवल तब तक होती है जब तक जैव संसाधनों को वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं।

- यह अधिनियम भारतीय जैविक संसाधन एवं संबंधित ज्ञान के पारंपरिक उपयोगों को भी शामिल नहीं करता है तथा जब जैव संसाधनों का उपयोग केन्द्र सरकार की अनुमति के साथ भारतीय व विदेशी संस्थानों के मध्य सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं में किया जाता है, तो उन्हें भी शामिल नहीं करता है। विभिन्न प्रकार के काश्तकारों यथा–किसान, पशुपालन एवं मधुमक्खी पालक तथा पारंपरिक उपचारक, उदाहरण के लिये वैद्य और हकीमों को भी अधिनियम से छूट प्रदान की गई है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का गठन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम–2002, जैव विविधता नियम–2004 तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार जैव विविधता नियमावली–2017 के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का गठन किया गया है।

पर्षद् की मुख्य भूमिका जैव विविधता का संरक्षण, उसके अवयवों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और पारम्परिक ज्ञान से उद्भूत लाभ का उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की संगठनात्मक संरचना

बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञाप संख्या–पर्या/वन–07/2007–1045(ई०), प०व०, दिनांक–19.12.2017, ज्ञाप सं०–पर्या०/वन/07/2007–1331(ई०), प०व०ज०प०, दिनांक–23.09.2019 एवं सं०–1661 (ई०), दिनांक–27.11.2019 द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् गठित किया गया है। पर्षद् के अध्यक्ष, पदेन सदस्य , तथा गैर–सरकारी सदस्य गण निम्न प्रकार है :–

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

अध्यक्ष : श्री आशुतोष, भा॰व॰से॰

1. **पदेन सदस्य**
   1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
   2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
   3. सचिव, कृषि विभाग
   4. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
   5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

2. **मनोनीत सदस्य**
   1. श्री पी० आर० सिन्हा, भा॰व॰से॰ (सेवानिवृत), पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिव आई० यू० सी० एन०, इंडिया, राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद के सदस्य
   2. डॉ० द्विजेन्द्र नाथ सिंह, भा॰व॰से॰ (सेवानिवृत), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरूणाचल प्रदेश एवं पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली

3. **सचिव**
   डॉ० के० गणेश कुमार, भा॰व॰से॰

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के मुख्यालय पटना स्थित कार्यालय के संचालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 1708(ई०), दिनांक–03.12.2019 द्वारा विभिन्न पदों का सृजन किया गया है।

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम–16 में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा निम्नलिखित कृत्यों के सम्पादन का उल्लेख किया गया है।

(1) अधिनियम की धारा–23 के अधीन प्रावधानित क्रियाकलापों को शासित करने के लिये प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित करना;

(2) आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों या अन्य जैव संसाधन, जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के सतत उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और न्यायोचित हिस्सेदारी के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना;

(3) भारतीय नागरिकों द्वारा किसी जैव संसाधन जिसमें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जैव संसाधन सम्मिलित है, की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के लिये अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करना या अन्यथा विनियमित करना;

(4) राज्य सरकार के विभागों एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(5) राज्य जैव विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना का अद्यतीकरण तथा कार्यान्वयन को सुगम बनाना;

(6) अध्ययन को प्रारंभ करना तथा अनुसंधान एवं शोध को प्रायोजित करना;

(7) पर्षद् के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार नियुक्त करना:

परंतु किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा उचित हो तो पर्षद् ऐसी नियुक्ति के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(8) जैव विविधता के संरक्षण उसके संघटकों के सतत उपयोग तथा जैवीय संसाधनों तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और न्यायोचित हिस्सेदारी से संबंधित तकनीकी और सांख्यकीय आंकड़े, निर्देशिका, संहितायें या मार्गदर्शन संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करना;

(9) जनसंपर्क के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और न्यायोचित हिस्सेदारी से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना।

(10) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के सतत उपयोग के लिए कार्यक्रमों में नियोजित या नियोजित होने वाले कार्मिकों के लिये और प्रशिक्षण की योजना बनाना एवं उसका आयोजन करना।

(11) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा सतत उपयोग की सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित पारम्परिक ज्ञान के लिए जैव विविधता पंजी तथा इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से,

डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और अभिलेखन प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना

(12) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये स्थानीय निकायों/ जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लिखित निर्देश देना।

(13) पर्षद् के कृत्यों तथा अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना;

(14) अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे संबंधित ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार और ऐसी समुचित जानकारी की गोपनीयता बनाये रखे जाने की प्रणाली, तथा जन जैव विविधता पंजी में अभिलिखित सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है;

(15) समय–समय पर जैविक संसाधनों के संग्रहण के लिए शुल्क अनुशंसित/विहित करना तथा उसे संशोधित करना।

(16) जैव विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अनुदान तथा अनुदान सहायता स्वीकृत करना;

(17) अधिनियम के प्रावधानों, कार्यान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;

(18) पर्षद् की उसको स्वयं की प्राप्तियों तथा राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से अन्तरण को समाविष्ट करते हुये, पर्षद् का वार्षिक बजट तैयार करना:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अनुसार संचालित किया जायेगा;

(19) पर्षद् को, समस्त प्राक्कलनों पर प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियां होंगी; वह, तथापि, ऐसी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों, को जिसे कि आवश्यक समझा जाय, पर्षद् के सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(20) पर्षद् के कृत्यों के प्रभावकारी निर्वहन के लिये, राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिये अनुशंसा करना:

परंतु बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के कोई स्थाई/अस्थाई पद या किसी अन्य प्रकृति का पद सृजित नहीं किया जायेगा।

(21) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के उपबंधों को लागु करने के लिये आवश्यक हों या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर निदेशित अथवा दिये गये।

(22) अचल तथा चल, दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित, धारण तथा निष्पादन करना और उसके लिये संविदा करना।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की बैठक

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की आँठवी बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

(i) जैव विविधता पर्षद् की छठी बैठक (02.09.2021) की कार्यवली सं० 3(4) में जैव विविधता का महत्व के पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में पौधों का रोपण के साथ एक वर्ष सम्पोषण का प्रस्ताव लिया गया है।

(ii) जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन एवं ग्राम पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय जैव विविधता समिति के सदस्यों का प्रषिक्षण हेतु 12 जिलों में सम्पादित हेतु निर्णय लिया गया है।

(iii) High Resolution Satellite Imaginary द्वारा नालन्दा के प्राकृतिक वनों तथ उसके बाहर के क्षेत्रों में हरित आवरण का आकलन का योजना वर्ष 2023–24 में पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

(iv) बिहार राज्य जैव विविधता कार्य योजना (Bihar State Action Plan on Biodiversity) बाह्य एजेन्सी से करने का निर्णय लिया गया है।

(v) Development of City Biodiversity Index of Bhagalpur City of Bihar का निर्णय लिया गया है।

(vi) नगर निकाय (नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम) में जैव विविधता प्रबंधन समिति का निर्माण का निर्णय लिया गया है।

(vii) बिहार में विरासत वृक्षों (Heritage Trees) का भौतिक सत्यापन एवं सर्वेक्षण (Phase II) का निर्णय लिया गया है।

(viii) Conserving Biodiversity- Production of Documentary in Garuda Bird (Greater Adjutant Stork).

नगर निकाय में नगर निगम

/नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन :-

समिति का गठनः–

(क) जैव विविधता प्रबंधन समिति का निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में निर्मित जैव विविधता अधिनियम, 2002 (नियमावली, 2004) की धारा–63 के द्वारा दिनांक 27.03.2017 को बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई। नियमावली के नियम–25 में राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तथा जन जैव विविधता पंजी के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

(ख) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिकता के भीतर आने वाले निवासियों को सम्मिलित करते हुए जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। जिसका कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यकाल के समरूप होता है।

(ग) जैव विविधता प्रबंधन समितियों में एक अध्यक्ष सहित स्थानीय निकायों द्वारा नामित अधिकतम छः व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम दो महिलाएं तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

फरवरी, 2024 में नगर निकाय (नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम) में जैव विविधता प्रबंधन समिति का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग के मदद से किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में नगर निकायों की संख्या 261, जिसमें नगर पंचायत 154 नगर परिषद् 88 एवं नगर निगम 19 है। सभी नगर निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जा रहा है।

इसके लिए एक Software and App का निर्माण किया गया है। उसी के माध्यम से किया जा रहा है।

नगर निकाय स्तरीय बी.एम.सी (जैव विविधता प्रबंधन समिति) उपयोगकर्ता पुस्तिका

nagar nikaay Level BMC (Biodiversity Management committee) user manual

Step 1: - फॉर्म भरने से पहले निम्न दस्तावेज को अपने कंप्यूटर फोल्डर बना कर रख ले।

(a.) Resolution Form भर कर रख ले। (PDF format size 100-200 kb).

(b.) गूगल में जा कर bmcnagarpalika.in टाइप करें।

नगर निकाय स्तर के BMC मेम्बर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन "Form 1 User Registration " (Green button) पर क्लिक करें।

Step 2: - एक फॉर्म खुलेगा इसमें नगर निकाय का चयन करें इसके बाद जिला चुने, इसके उपरोत अपना नाम, पदनाम भरे, मोबाइल न० इसके बाद अपना मोबाइल न० भर कर OTP के माध्यम से मोबाइल न० सत्यापन करें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर डाटा सेव करें।

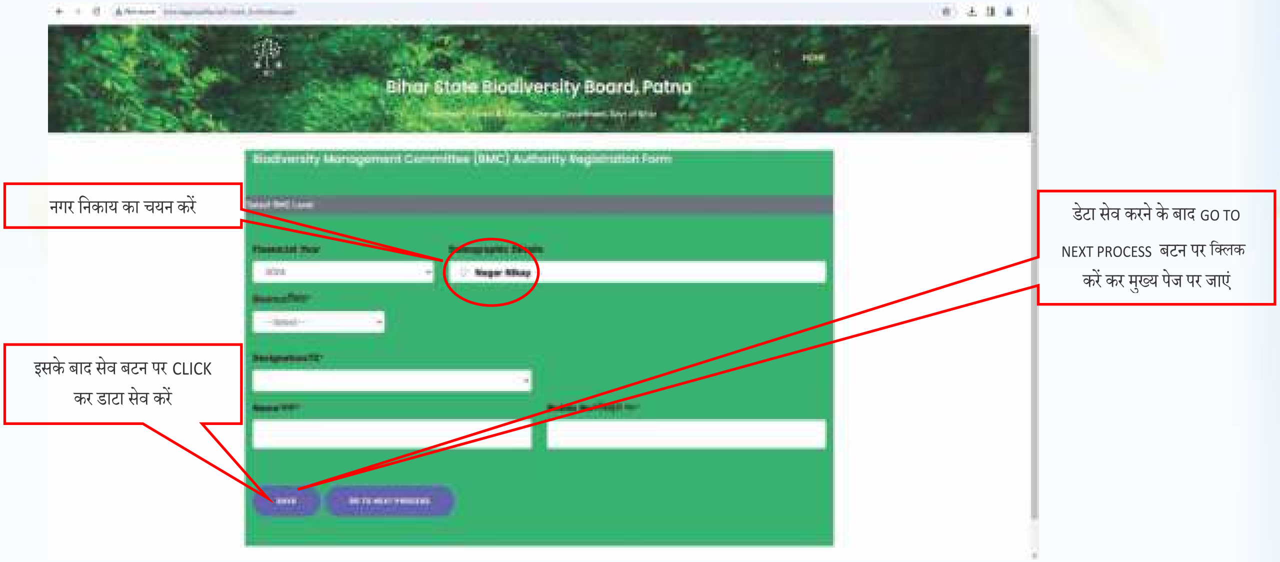

Step 3: - (Member Registration) Committee Member जोड़ने के लिए User Registration करने के बाद Home button पर जाकर Form-2 (Add Member Details) Red बटन पर क्लिक करें।

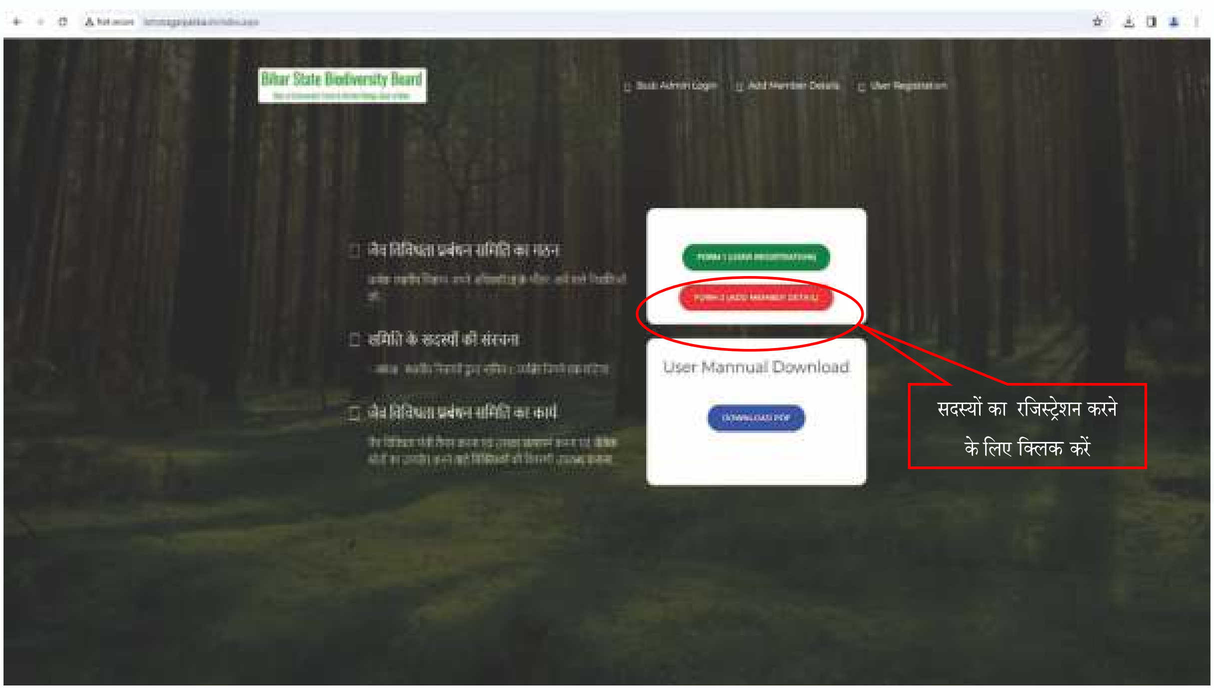

पेज खुलने के बाद लॉगइन पेज आएगा। इसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल कर OTP प्राप्त करें फिर OTP डाल कर लॉगइन कर ले।

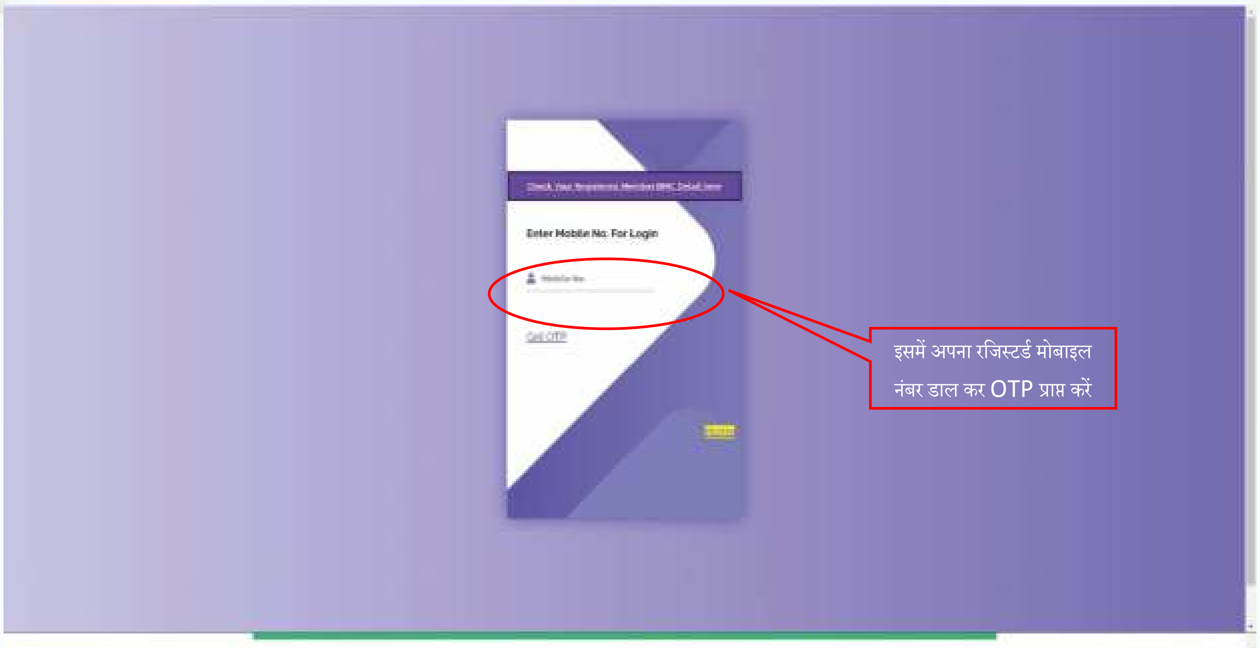

Step 4: - लॉग इन करने के बाद “Add Member” पर क्लिक करें। इसके बाद एक Registration Form खुलेगा। Add Committee Member करने के लिए अपना समिति चुने। इसके बाद मेम्बर का नाम, पता, आयु, जाति, पदनाम, अपलोड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। User को Member Details निचे दिख जाएगा इस तरह से सारे मेम्बर का विवरण भरे।

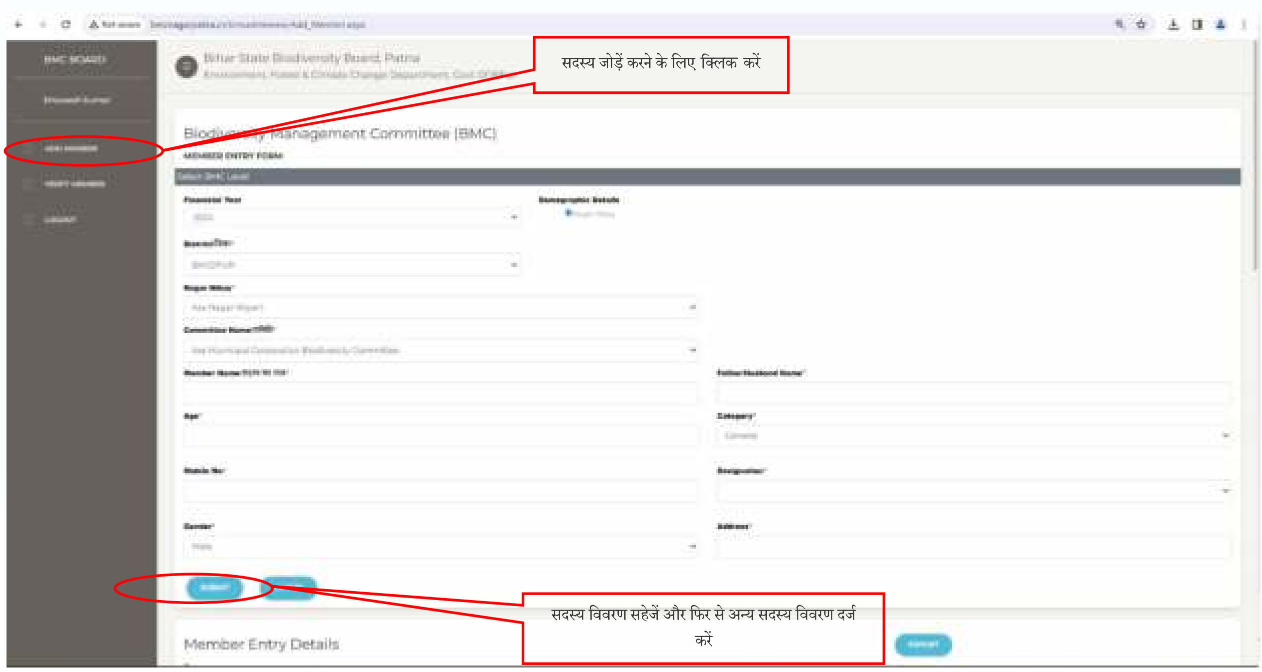

User को Member Details निचे दिख जाएगा

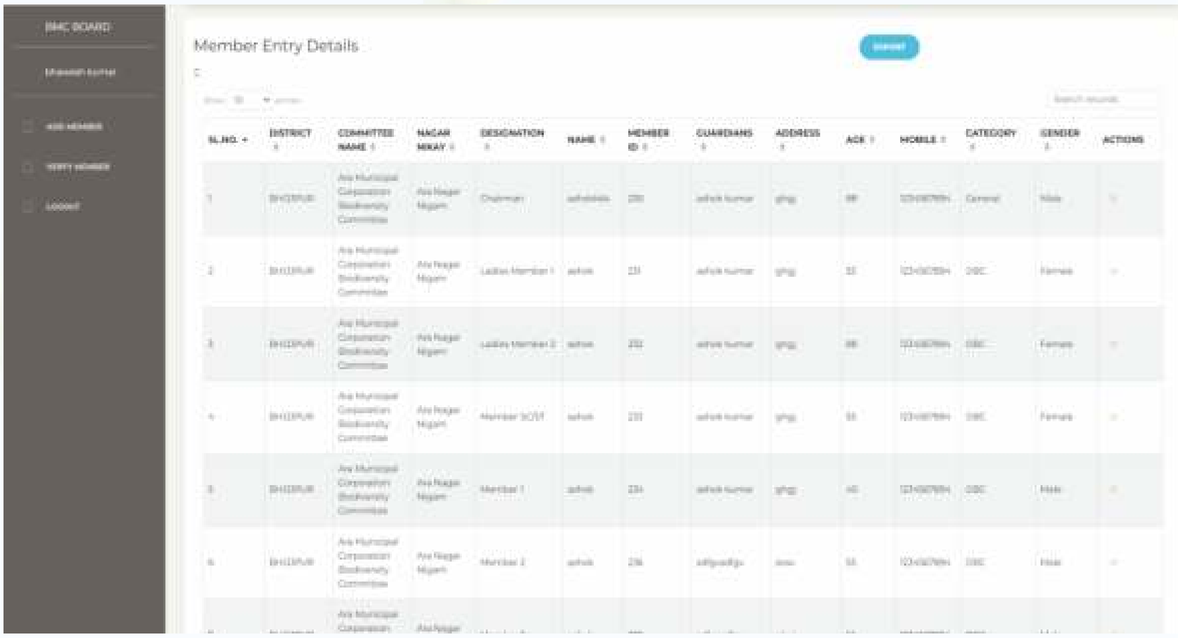

Step 5: - मेम्बर का सत्यापन करने के लिए सभी मेम्बर का डिटेल्स भरने के बाद “Verify Member” पर क्लिक करें। सभी मेम्बर का जाँच कर लें। इसके बाद निचे choose file पर क्लिक कर Resolution upload कर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट कर दे।

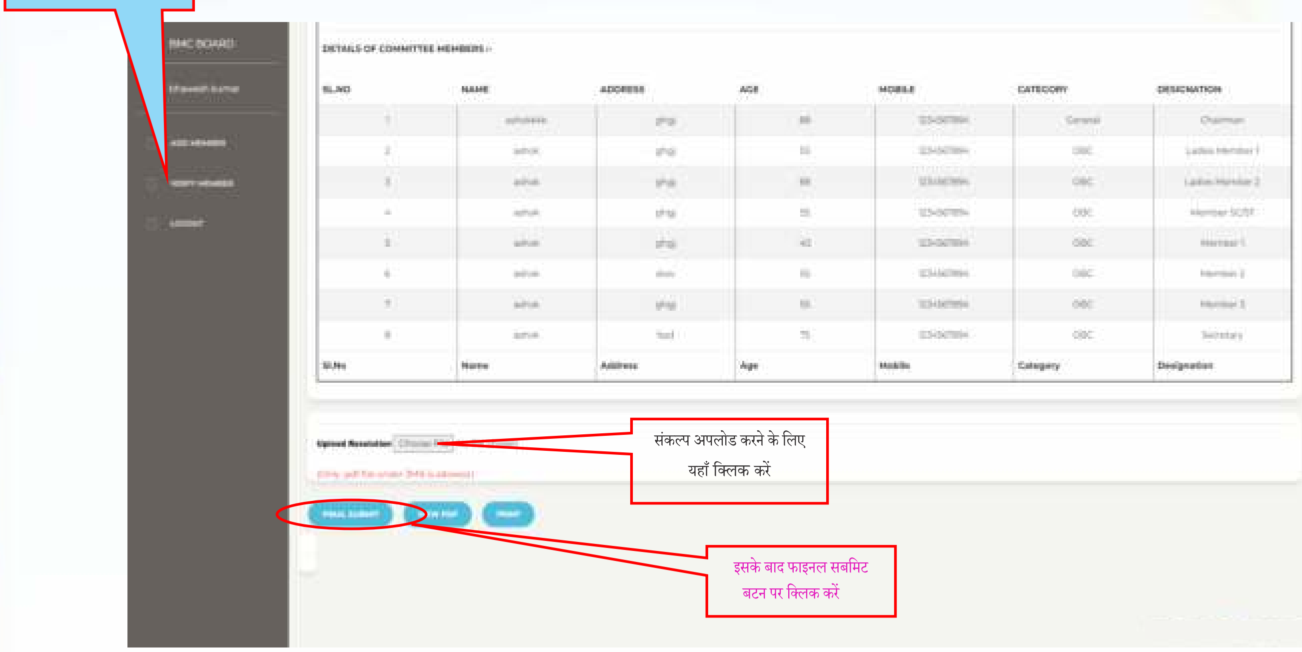

इसमें नगर निकास एवं आवास विभाग की मदद से कुल 19 नगर निकायों में समिति का निर्माण किया गया है।

इसमें नगर निकास एवं आवास विभाग की मदद से कुल 23 नगर निकायों में समिति का निर्माण किया गया है।

Nagar Parishad	Nagar Panchayat	Nagar Nigam	Total Number of BMC
9	12	2	23

शेष प्रगति पर है। फरवरी 2024 में सभी नगर निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का निर्माण कार्य सम्पादित कर लिया जाएगा।

जैव विविधिता संरक्षण में वृक्षों की भूमिका सर्वविदित है एवं बड़े वृक्ष प्राणवायु देने के साथ–साथ अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवास एवं भोजन आदि प्रदान करते हैं। अतः इन वृक्षों का पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) में विशेष महत्व है। वैसे वृक्ष जो आकार में बड़े हो, 50 वर्षों से अधिक पुराने, दुर्लभ प्रजाति के, सौदर्यपूर्ण तथा सांस्कृति महत्व के हो, उन्हें विरासत की श्रेणी में रखकर संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

उद्देश्यः–

विरासत वृक्षों को संरक्षित करना ताकि ऑक्सीजन के बड़े स्त्रोत के रूप में इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। आम जनों में इन विरासत वृक्षों की महत्ता और उन्हें संरक्षित हेतु जागरूकता पैदा किया जा सके। प्राकृतिक वनों के बाहर स्थित 50 वर्ष या अधिक आयु के वृक्ष जिन्हें विरासत वृक्ष का नाम दिया जाएगा, ऐसा वृक्ष वानस्पतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पारिस्थतिक महत्व के होंगे। इन कार्यों के लिए Heritage Tree Software का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से बिहार राज्य में लगभग 15,514 विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण किया गया है, इसकी पूर्ण जानकारी Heritage Tree Website (URL) पर उपलब्ध है। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुए वृक्षों का परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया, जिसमें 1500 वृक्षों का बिहार के विभिन्न जिलों में चिंहित किया गया है।

स्थिति निम्नवत है

Heritage Tree App में आए हुए वृक्षों का संस्थान द्वारा भौतिक सत्यापन कराने हेतु Heritage Tree App / Software Develop किया गया है जिसे Website में देखा जा सकता है।

Criteria for Heritage Tree Verification

- वृक्षों की आयु लगभग 50 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
- धार्मिक गतिविधि से महत्वपूर्ण हो।
- ऐतिहासिक एवं पौराणिक (Mythological) होनी चाहिए।
- वैसे वृक्ष जिसकी प्रजनन बंद हो गया है या जो खतरे में हो।
- वैसे वृक्ष जो पहली बार खोजा गया हो या स्थानीय हो।
- ऐसी वृक्ष जो ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत साक्ष्य या किसी परिषद सार्वजनिक व्यक्त या स्मारक से संबंध रखता हो।
- ऐसे वृक्ष जिसमें एक नयी किस्म का प्रचार किया, प्रजाति से जुड़े कानूनों के अलावा अन्य कानूनों का ग्रहण किया हो। वैसे–

A. Visual:

1. visually striking and memorable landmark feature
2. Trees having big crown and branches
3. Incidence of fire/any other damage happened

B. Scientific:

1. Exceptionally old
2. Rare or unique
3. Endangered species
4. Provides threatened or rare habitat/ Birds or Animals associated with the tree
5. Other research interest or scientific value
6. Trees whose reproduction has stopped or which are in danger
7. Trees which have been discovered for the first time or are local.
8. A tree in which a new variety has been propagated and has acquired characteristics other than those associated with the species

C. Cultural:

1. Linked to an important event or Location
2. Linked to an important person
3. Part of an established/emerging custom
4. Long established community feature
5. Other cultural value
6. Trees having religious Value/ deity associated with the tree
7. Trees having Historical and Mythological Value

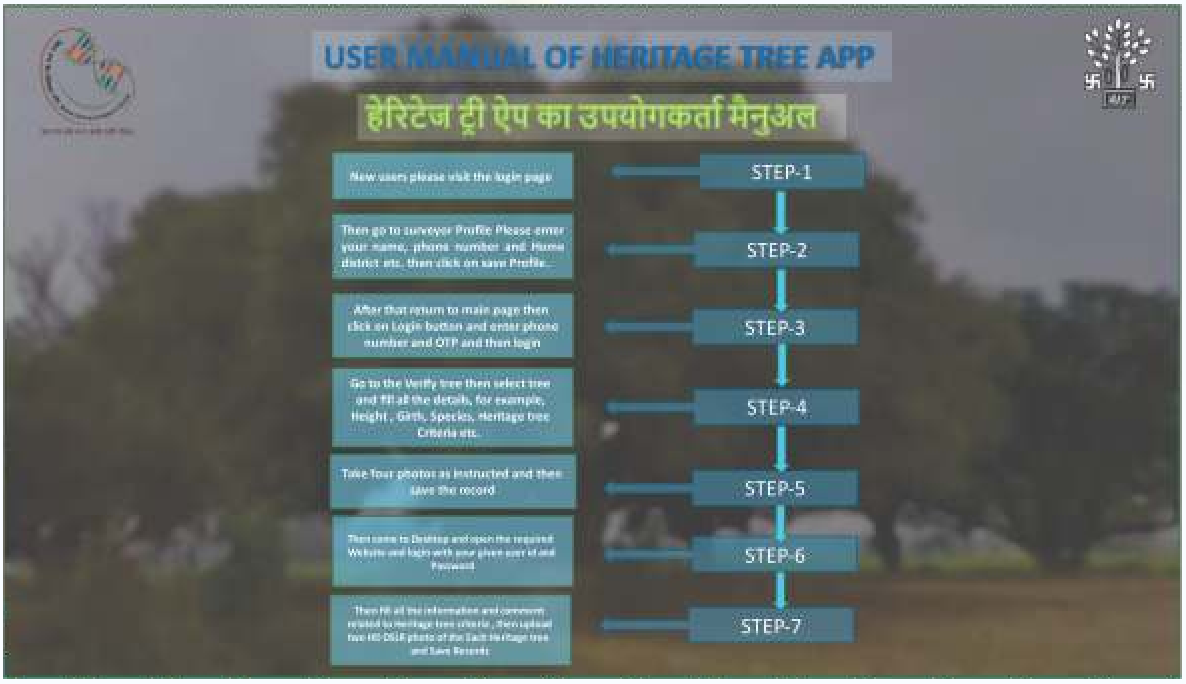
USER MANUAL OF HERITAGE TREE APP
हेरिटेज ट्री ऐप का उपयोगकर्ता मैनुअल
STEP-1
New users please visit the login page
STEP-2
Then go to surveyor Profile Please enter your name, phone number and Home district etc. then click on save Profile.
STEP-3
After that return to main page then click on Login button and enter phone number and OTP and then login
STEP-4
Go to the Verify tree then select tree and fill all the details, for example, Height , Girth, Species, Heritage tree Criteria etc.
STEP-5
Take four photos as instructed and then save the record
STEP-6
Then come to Desktop and open the required Website and login with your given user id and Password
STEP-7
Then fill all the information and comment related to Heritage tree criteria , then upload two HD DSLR photo of the Each Heritage tree and Save Records

STEP - 1
Click on the While using the app option
Precise
Approximate
While using the app
Only this time
Don't allow

STEP - 2
Click on the While using the app option
While using the app
Only this time
Don't allow
Board, Patna

STEP - 3
Click on the ok option
De-Register Handset ?
CANCEL
OK
Bihar State BioDiversity Board, Patna

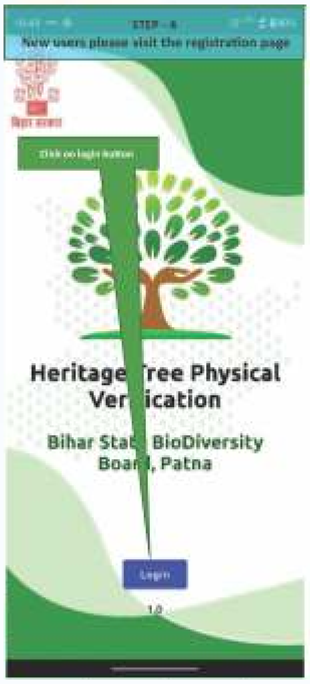
STEP - 4
New users please visit the registration page
Click on login button
Heritage Tree Physical Verification
Bihar State BioDiversity Board, Patna
Login
1.0

STEP - 5
Please enter your phone number and select Surveyor option
Enter your Phone No.
Choose Surveyor option
Sign in to your account
9939609256
Surveyor
SIGN IN

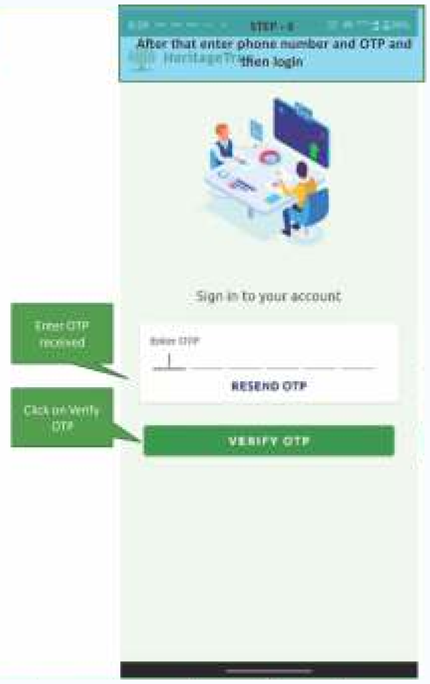
STEP - 6
After that enter phone number and OTP and then login
Enter OTP received
Click on Verify OTP
Sign in to your account
RESEND OTP
VERIFY OTP

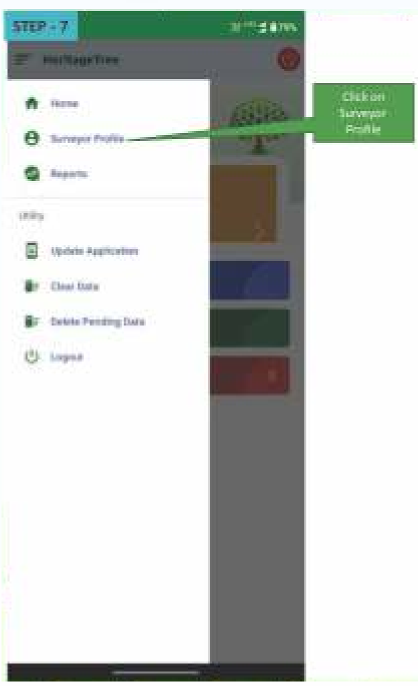
STEP - 7
Click on Surveyor Profile

STEP - 8
HeritageTree
Surveyor Profile
One by One fill all the Details
Change Profile Picture
Name :
Mobile No :
Date Of Birth:
Home District
Father's Name :
Educational Qualification :
College :
University :
SAVE PROFILE

Click on Login Button
STEP - 9
Heritage Tree Physical Verification
Bihar State BioDiversity Board, Patna
Login
1.0

STEP - 10
HeritageTree
Notice Board 2
Dashboard
Verify Tree
Pending Uploads
Click on Verify Tree
Select tree from list
STEP - 11
HeritageTree
All Panchayat
Rajokar Bazar,HAYATPUR,अररिया,ARARIA
This option Show the route map of tree on google map
STEP - 12
HeritageTree
Old Inspection Detail
Fill all the details of tree here
Click one by one here for take Geotag Photo
Fill Heritage Tree Inspection Report
Tree Age (in year) :
Tree Height (in feet) :
Tree Girth at DBH (in feet) :
Plant Species
Visually striking and memorable landmark feature
Trees having big crown and

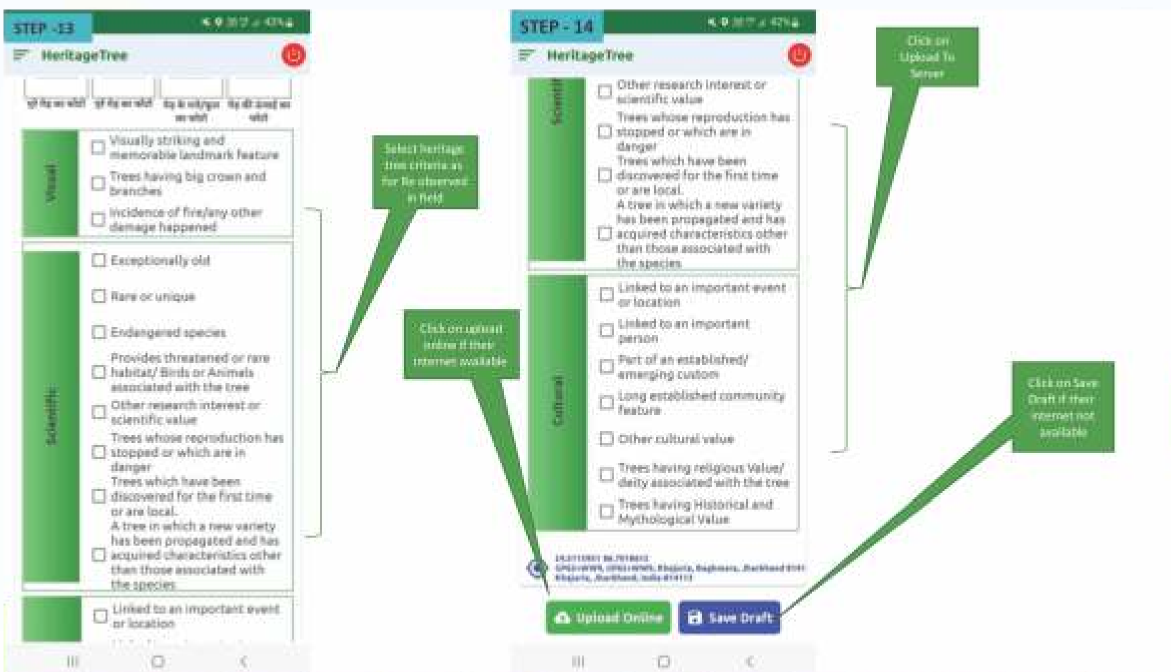
STEP -13
HeritageTree
Visual
Visually striking and memorable landmark feature
Trees having big crown and branches
Incidence of fire/any other damage happened
Scientific
Exceptionally old
Rare or unique
Endangered species
Provides threatened or rare habitat/ Birds or Animals associated with the tree
Other research interest or scientific value
Trees whose reproduction has stopped or which are in danger
Trees which have been discovered for the first time or are local.
A tree in which a new variety has been propagated and has acquired characteristics other than those associated with the species
Linked to an important event or location
Select heritage tree criteria as for Re observed in field
Click on upload online if their internet available
STEP - 14
HeritageTree
Click on Upload To Server
Scientific
Other research interest or scientific value
Trees whose reproduction has stopped or which are in danger
Trees which have been discovered for the first time or are local.
A tree in which a new variety has been propagated and has acquired characteristics other than those associated with the species
Cultural
Linked to an important event or location
Linked to an important person
Part of an established/ emerging custom
Long established community feature
Other cultural value
Trees having religious Value/ deity associated with the tree
Trees having Historical and Mythological Value
Click on Save Draft if their internet not available
Upload Online
Save Draft

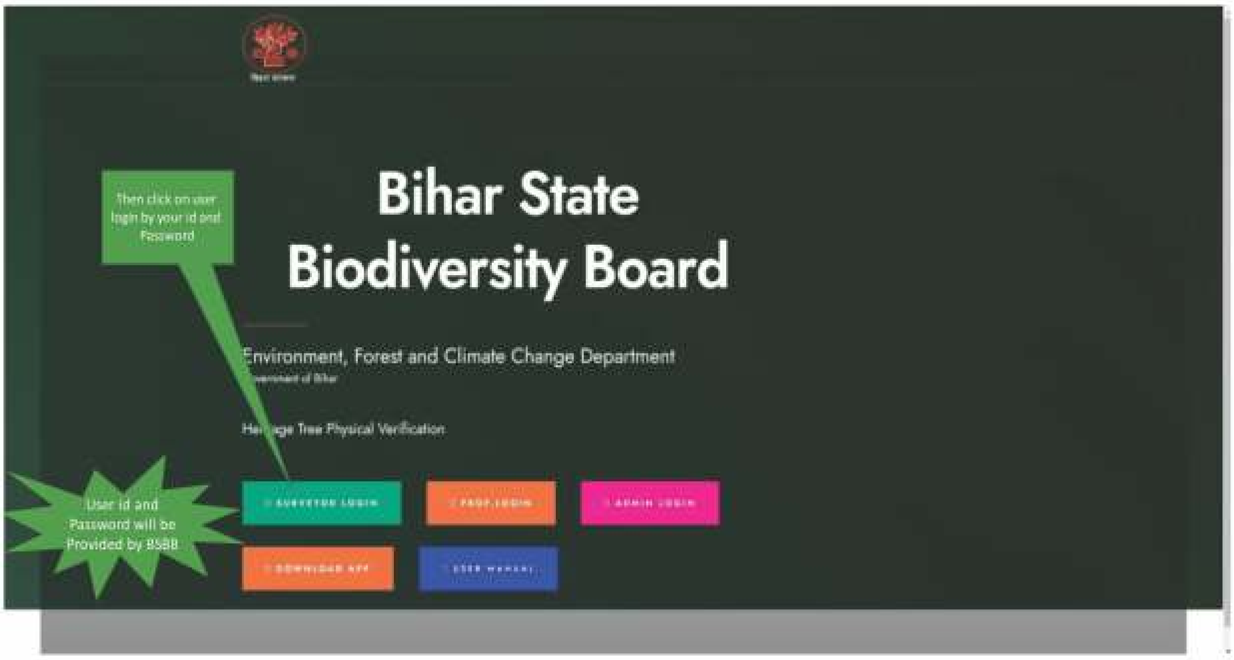

Surveyor Login

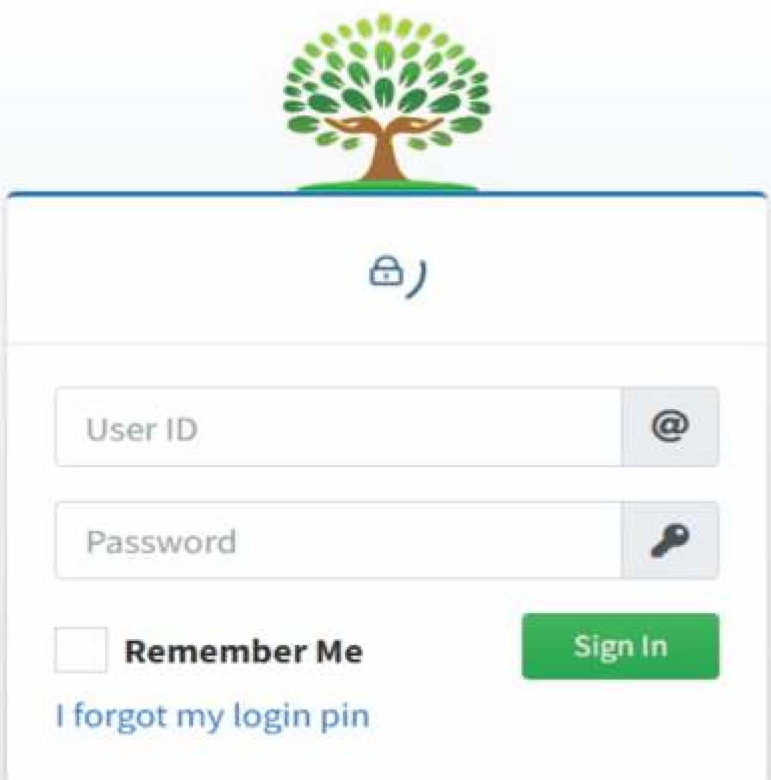

Then select District
Then select tree id which inspected
UserID
Select District
Select Panchayat
-View Surveyor Uploaded Photo-
-DCLR Camera Upload-
Upload High Resolution Dclr Photo-1
Upload High Resolution Dclr Photo-2
Then select Panchayat which you survey done
Then upload DSLR hd Photo here

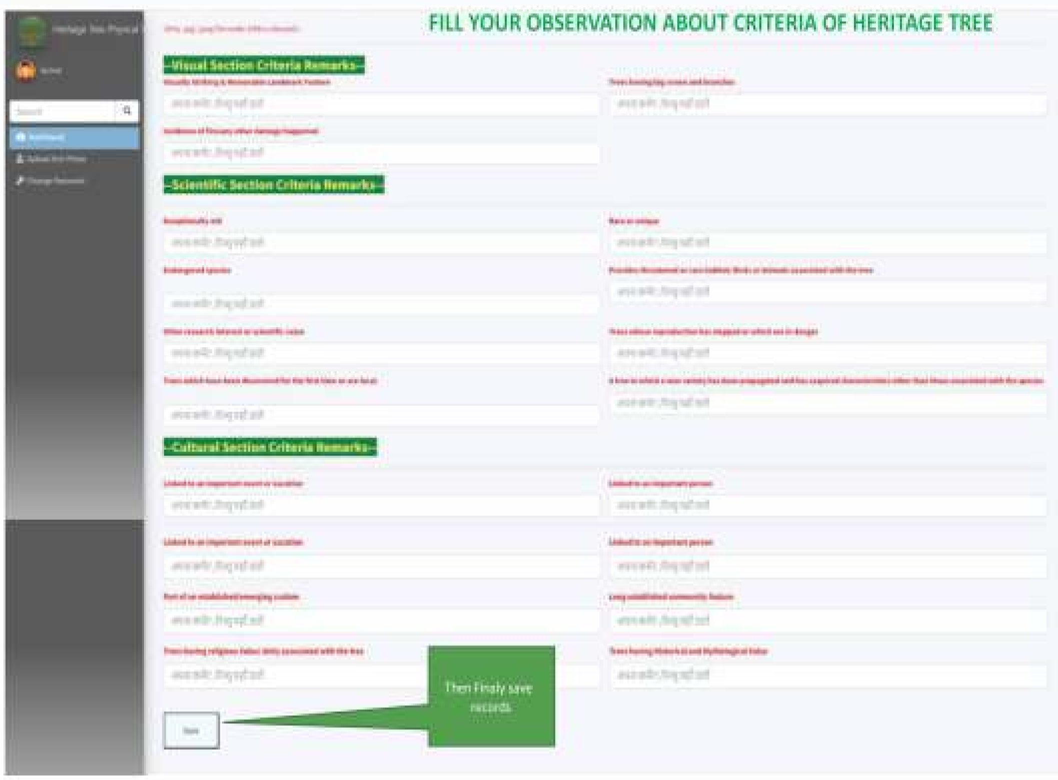
FILL YOUR OBSERVATION ABOUT CRITERIA OF HERITAGE TREE
--Visual Section Criteria Remarks--
--Scientific Section Criteria Remarks--
--Cultural Section Criteria Remarks--
Then Finaly save records

Professor Login

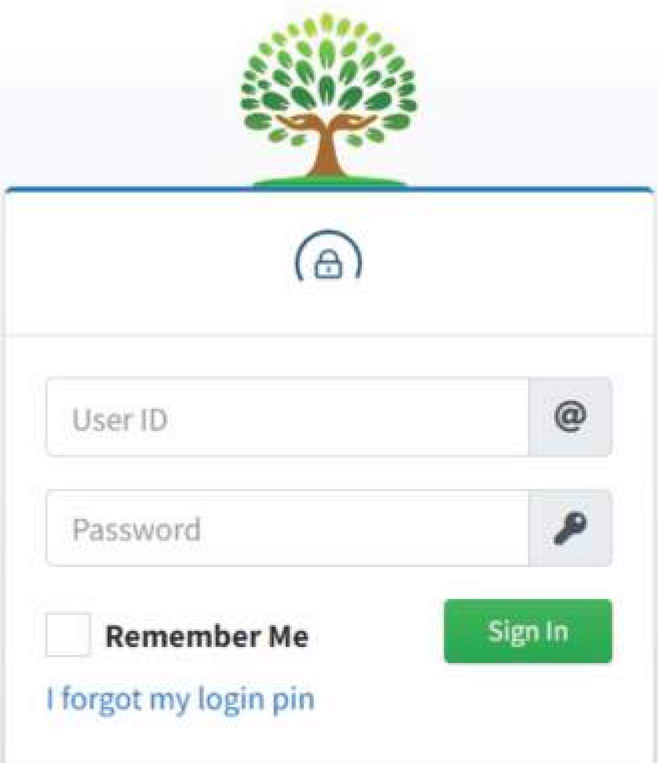

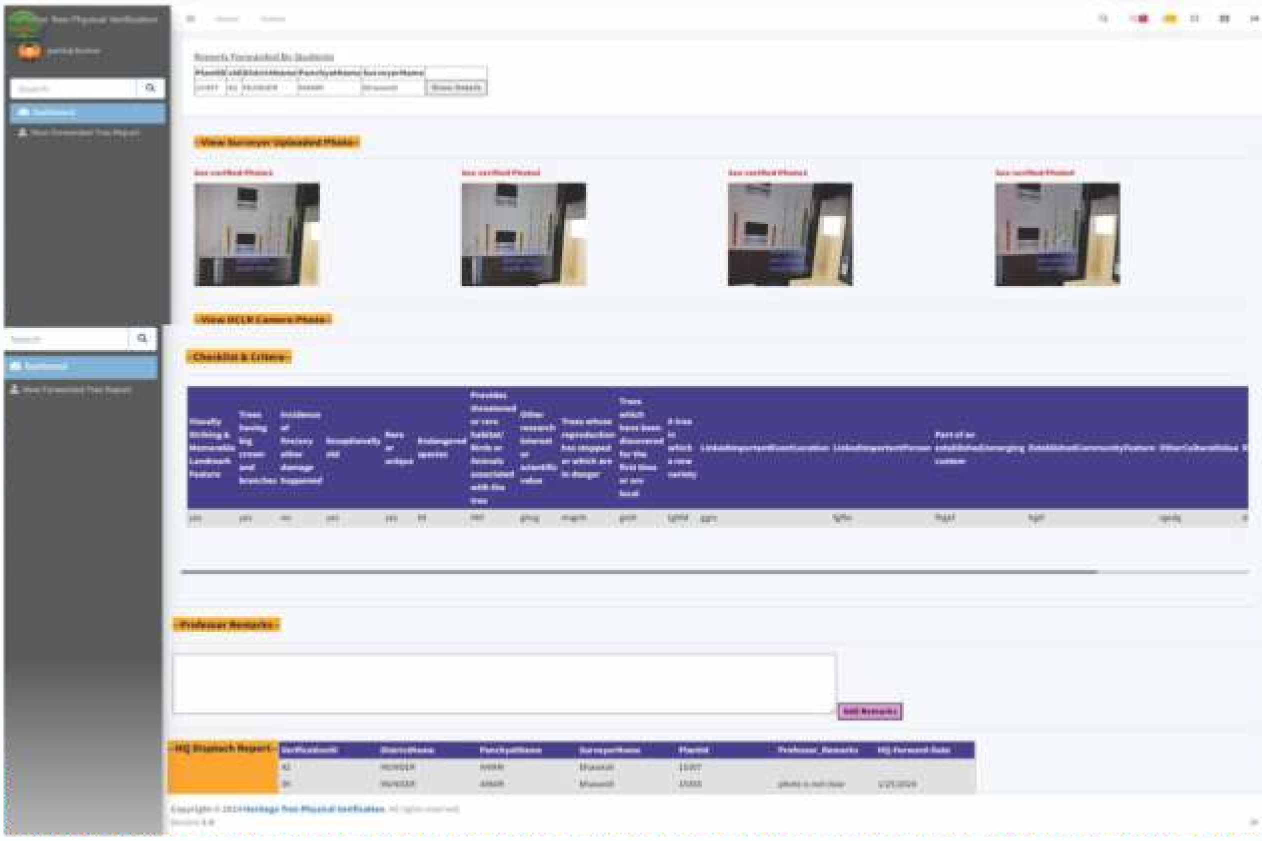

योजना मार्च 2024 तक संपादित करने हेतु अनुग्रह नारायण महाविद्यालय, पटना RD & DJ महाविद्यालय, मुंगेर एवं केकेएम महाविद्यालय, जमुई (work Order) को कार्यादेश दिया गया है। इस कार्य में विद्यार्थी एवं प्राध्यापक को प्रशिक्षित किया गया है। एक वृक्ष के भौतिक सत्यापन हेतु 1500 रुपए निर्धारित किया गया है

विरासत वृक्षों के भौतिक सत्यापन (फेज-2) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

GPS Map Camer
Patna, Bihar, India
Biotechnology Block, AN College, Sri Krishna Puri, Patna, Bihar 800013, India
Lat 25.617694°
Long 85.111893°
01/02/24 01:43 PM GMT +05:30

Total no of Heritage Tree in Different Age Group					
Sl.no	District	(Age Above 120 yrs)	(Age 80-120 yrs)	(Age 50-80 yrs)	Total
1	AURANGABAD	0	0	9	9
2	BANKA	1	0	0	1
3	BEGUSARAI	2	0	2	4
4	BHAGALPUR	7	2	71	80
5	BHOJPUR	1	1	1	3
6	BUXAR	21	63	123	207
7	DARBHANGA	1	0	0	1
8	GAYA	4	0	0	4
9	GOPALGANJ	2	2	2	6
10	JAMUI	27	94	7	128
11	JEHANABAD	1	0	1	2
12	KAIMUR	4	1	5	10
13	KHAGARIA	0	0	1	1
14	KATIHAR	2	0	7	9
15	MADHEPURA	0	0	1	1
16	MUNGER	0	0	13	13
17	MADHUBANI	1	0	1	2
18	MUZAFFARPUR	3	1	7	11
19	NALANDA	3	0	4	7
20	NAWADA	2	0	1	3
21	PASHCHIM CHAMPARAN	4	4	10	18
22	PATNA	5	4	11	20
23	PURBI CHAMPARAN	225	672	0	897
24	ROHTAS	1	1	3	5
25	SAHARSA	0	0	1	1
26	SAMASTIPUR	1	0	1	2
27	SARAN	4	0	22	26
28	SIWAN	2	0	1	3
29	SHEIKHPURA	0	0	6	6
30	SUPAUL	1	0	1	2
31	SITAMARHI	0	4	6	10
32	PRURNIA	0	1	3	4
33	VAISHALI	2	0	2	4
	Total	**327**	**850**	**323**	**1500**

प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय जानकार लोगों/तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार जन जैव विविधता पंजी में स्थानीय जैव संस्थानों, उनके चिकित्सकीय या अन्य उपयोग या उनसे संबद्ध कोई प्रारंभिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी अंकित की गयी है। जैव विविधता प्रबंधन समिति यह पंजी विधि मान्य है।

जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यथा Wild Life Institute of India, बिहार स्थित 42 (बियालिस) कृषि विज्ञापन केंद्रों के प्रशिक्षण वैज्ञानिकों द्वारा 6,000 (छह हजार) से अधिक कृषि समन्वयकों तथा कृषि सलाहकारों को प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें जैव विविधता पंजियों को तैयार करने में सहयोग प्रदान करने हेतु 72 (बहत्तर) गंगा प्रहरियों को बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। जन जैव विविधता पंजी की Primary data का संग्रहण कर लिया गया है किंतु इसमें सतत् उन्नयन की आवश्यकता है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा तैयार जन जैव विविधता पंजी को परिषद द्वारा Digitization का कार्य किया गया है। राज्य के 8,058 (आठ हजार अंठावन) ग्राम पंचायत, 534 (पाँच सौ चौतीस) प्रखण्ड एवं 38 (अड़तीस) जिलों का GIS मैप तैयार किया गया है। इस प्रकार परिषद द्वारा बाह्य एजेंसी के सहयोग से 8630 PBR तैयार कर लिया गया है।

यह Digitization का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बिहार में प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति को एक User id and Password दिया जायगा ताकि जन जैव विविधता पंजी को उन्नयन करते रहे। यह सतत् प्रक्रिया होगी।

HOME
LOGIN
BSBB
BIHAR STATE BIODIVERSITY BOARD
DEPT. OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF BIHAR
BMC LOGIN
DEPARTMENT LOGIN

विभागीय लॉगगन

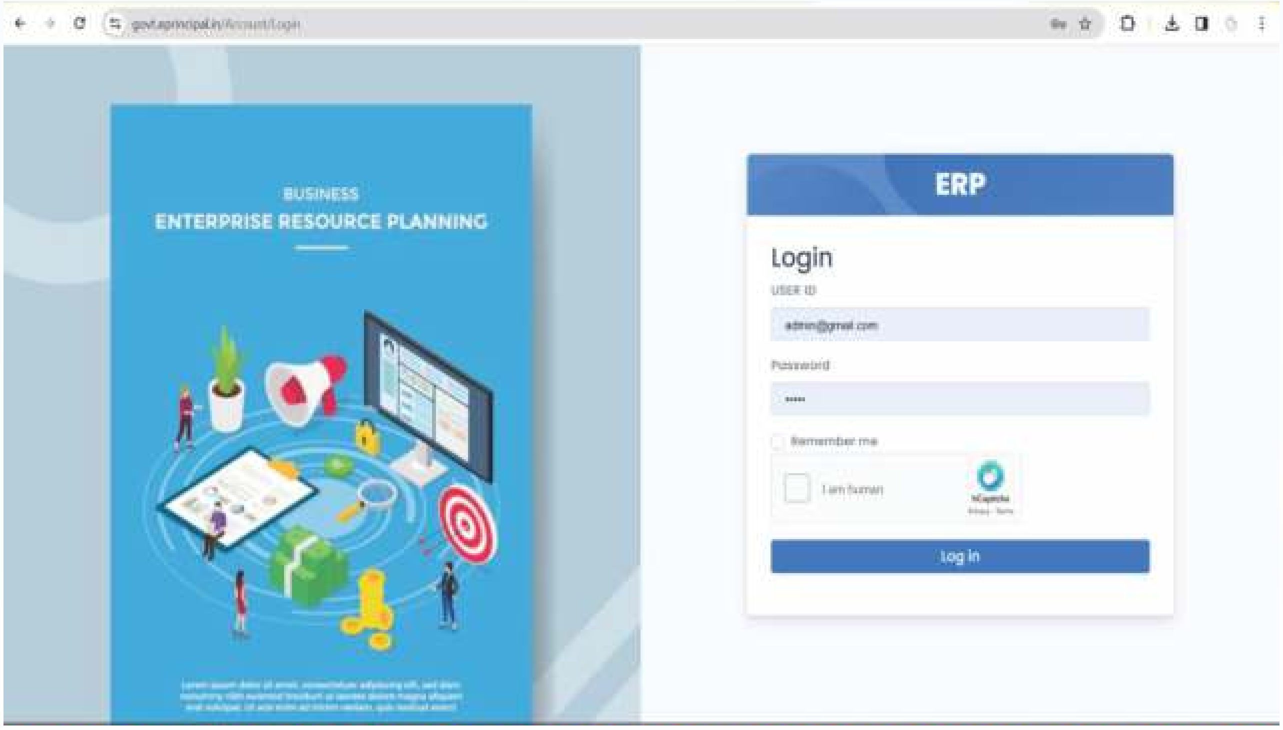
BUSINESS
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
ERP
Login
USER ID
admin@gmail.com
Password
Remember me
Log in

BIHAR STATE BIODIVERSITY BOARD

(AN AUTONOMUS AND SATUTORY BOARD OF GOVT. OF BIHAR)

PRESCRIBED FORMAT FOR PBR BY

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY, GOVT. OF INDIA

Pages 1 | 23

भाग- 2

Agrobiodiversity (कृषि जैव विविधता)

प्रारूप-1: फसल वाले पौधे

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
फसल	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	किस्म/ प्रजाति	भूमि प्रकार / वास स्थान	दिखाया गया अनुमानित क्षेत्रफल	स्थानीय स्थिति (भूतकाल)	स्थानीय स्थिति (वर्तमान)	विशेष गुण	फसल के मौसम	उपयोग	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	बीज / पौधों के स्रोत	समुदाय / जानकारी रखने वाले
Maize	Zea mays	Makka	Grass	Available	Kharif/Winter	Edible	Market	Mithilesh Singh						
Wheat	Triticumaesti vum	Gehu	Grass	Available	Kharif/Winter	Edible	Market	Santari Singh						
Mustard	Brassica spp.	Sarson,Ra inchi	Herb	Available	Kharif/Winter	Edible	Traditiona lway ofstorage	HariderSi ngh						
Paddy	Oryza sativa	Dhaan	Grass	Available	Rabi/Monsoon	Edible	Traditiona lway ofstorage							
Greengram	Vigna radiata	Moong	Herb	Available	Edible	Traditional way ofstorage								
Jute	Corchorussp p.	Jute	Shrub											
Red Lentil	Lens culinaris	Masoor	Herb											
Sugarcane	Saccharumo fficinarum	Eekh	Grass											

स्तंभ-1 का उपयोग बाजार, अनाज, तिलहन, वाणिज्यिक फसलें, कन्द-मूल वाले फसल, सब्जी, दलहनी एवं सुगंधित फसल इत्यादि के संबंध में सूचना हेतु किया जा सकता है। स्तंभ 12 अन्य विवरण में फसल प्रकृति/गुण के साथ बदलेगा। स्थानीय स्थिति मापने हेतु विशेष वर्ष को चिन्हित करने की आवश्यकता होगी। पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण बदलाव एवं पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में तुलना (पूर्व विशेष घटना के पहले)।

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
पौधा का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	किस्म / प्रजाति	भूमि प्रकार / वास स्थान	स्थानीय स्थिति (भूतकाल)	स्थानीय स्थिति (वर्तमान)	बीज / पौधों के स्रोत	फल लगने के मौसम	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	उपयोग	अन्य विवरण बाजार / स्वयं उपयोग	समुदाय / जानकारी रखने वाले
Cauliflower	Brassicaoleracea var.botrytis	Kobi	Herb	Loamy Soil/Garden	Regionalva rietieshave lessproduct ion	Hybridvar ietieshav e highyieldi ngand fastgrowt h	Privatenurs ery	Decemberto January	Used asvegetable	Koiri		
Lemon	Citrusaurantif olia	Nimbu	Shrub	Kagzi,Purvi	Loamy Soil/Garde n	Available	Available	Cuttings,Govern mentand Privatenursery	JanuaryFebruray	Fruits edible	OwnandMarketp urpose	
Litchi	Litchichinensi s	Litchi	Tree	Shahi	Loamy Soil/Garde n	Privatenu rsery	MarchApril	Forconsumption andmarketing				
Mango	Mangiferaindi ca	Aam	Tree	Dusshehri,bij u,malda	Loamy Soil/Garde n	LowProd uctivity	Highproduc tivity	PrivateNursery	Februaryto July	Fruits usedfor pickle,juice; leavesused inreligiousac tivities		
Banana	Musaparadisi aca	Kela	Herb	Regional	Loamy Soil/Garde n	LowProd uctivity	Highproduc tivity	Governmentand Privatenursery	October toDecember	Fruits edible,raw fruitused asvegetable and used inreligiousac tivities		
Guava	Psidiumguaja va	Amrood	Shrub	Saafi	Loamy Soil/Garde n	LowProd uctivity	Highproduc tivity	PrivateNursery	August toDecember	Fruits edible		
Tomato	Solanumlyco persicum	Tamatar	Herb	Loamy Soil/Garden	Regionalva rietieshave lessproduct ion	Hybridvar ietieshav e highyieldi ngand fastgrowt h	Privatenurs ery	JulySeptember	Used asvegetable	Koiri		

भाग- 2

Agrobiodiversity (कृषि जैव विविधता)

प्रारूप-1: फसल वाले पौधे

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
फसल	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	केस्म/ प्रजाति	भूमि प्रकार / वास स्थान	दिखाया गया अनुमानित क्षेत्रफल	स्थानीय स्थिति (भूतकाल)	स्थानीय स्थिति (वर्तमान)	विशेष गुण	फसल के मौसम	उपयोग	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	बीज / पौधों के स्रोत	समुदाय / जानकारी रखने वाले
धान		धान	mtu7029 bb-11 , r-mom 500 ,6444	दोमट बलुवाही	1500हेक	छिटवा विधि	पंक्ति मे रोपाई	अधीक उत्पादन	खरीफ मान्स	खाना मे पशुहार मे	पूर्वविधि से नई विधि तकनिकी रोपाई		प्राइवेट और सरकारी घरेलू	स्थानीय किसान
गेहू		गेहू	hb-2967 pbw-343 pbw-373	दोमट बलुवाही	400हेक	छिटवा विधि	पंक्ति मे रोपाई	अधीक उत्पादन	रबी	खाना मे पशुहार मे	पूर्वविधि से नई विधि तकनिकी रोपाई		प्राइवेट और सरकारी घरेलू	स्थानीय किसान
मक्का		मक्का	शंकर	दोमट बलुवाही	9080हेक	छिटवा विधि	पंक्ति मे रोपाई	अधीक उत्पादन	रबी	खाना मे पशुहार मे	पूर्वविधि से नई विधि तकनिकी रोपाई		प्राइवेट और सरकारी घरेलू	स्थानीय किसान
आलू		आलू	लालगुवान होर्लेंड	दोमट बलुवाही	100हेक	पंक्ति मे रोपाई	पंक्ति मे रोपाई	अधीक उत्पादन	रबी	खाना मे पशुहार मे	पूर्वविधि से नई विधि तकनिकी रोपाई		प्राइवेट और सरकारी घरेलू	स्थानीय किसान
मुंग मसूर		मुंग मसूर	उन्नत प्मोद	दोमट बलुवाही	50हेक	छिटवा विधि	छिटवा विधि	अधीक उत्पादन	रबी	खाना मे पशुहार मे	पूर्वविधि से नई विधि तकनिकी रोपाई		प्राइवेट और सरकारी घरेलू	स्थानीय किसान
सरसो तीसी		सरसो तीसी	उन्नत प्मोद	दोमट बलुवाही	50हेक	छिटवा विधि	छिटवा विधि	अधीक उत्पादन	रबी	खाना मे पशुहार मे	पूर्वविधि से नई विधि तकनिकी रोपाई		प्राइवेट और सरकारी घरेलू	स्थानीय किसान

जि॰आई॰एस॰ मैप जिला स्तर बी॰एम॰सी॰

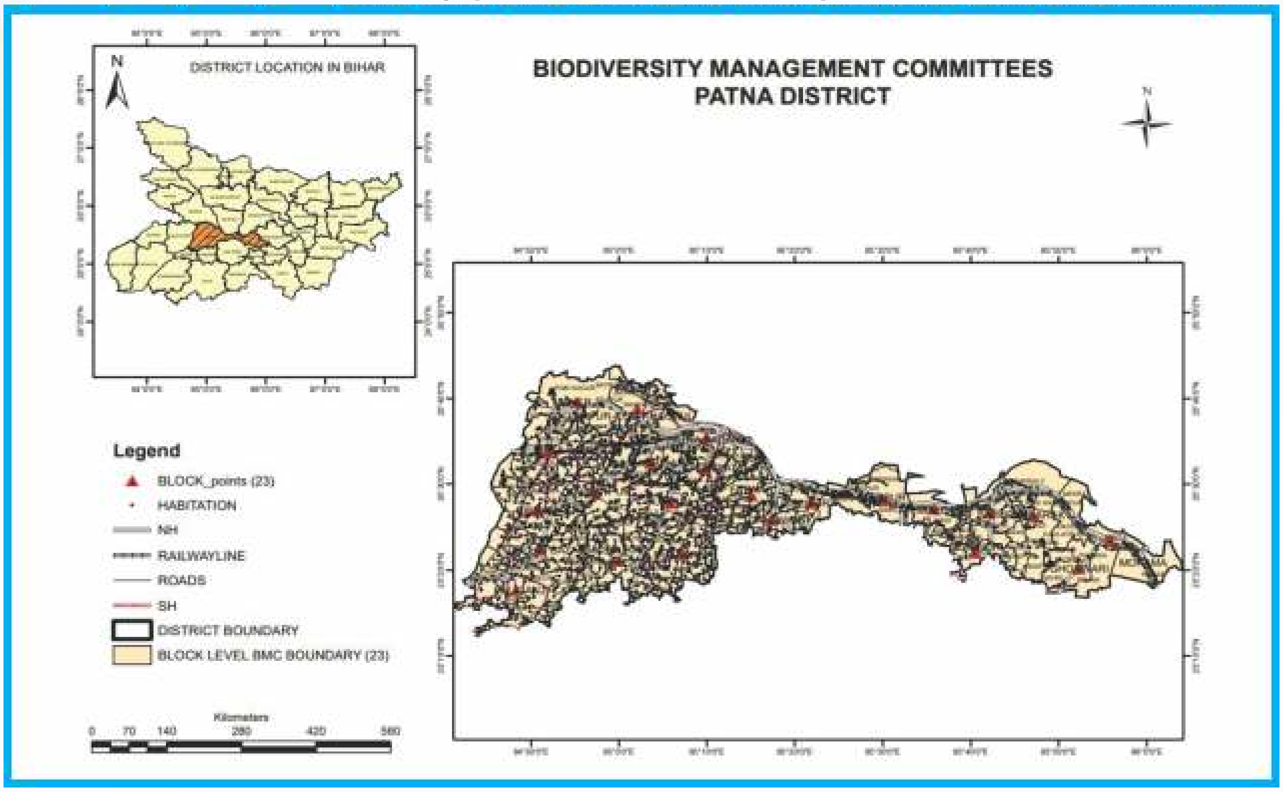

जि॰आई॰एस॰ मैप प्रखण्ड स्तर बी॰एम॰सी॰

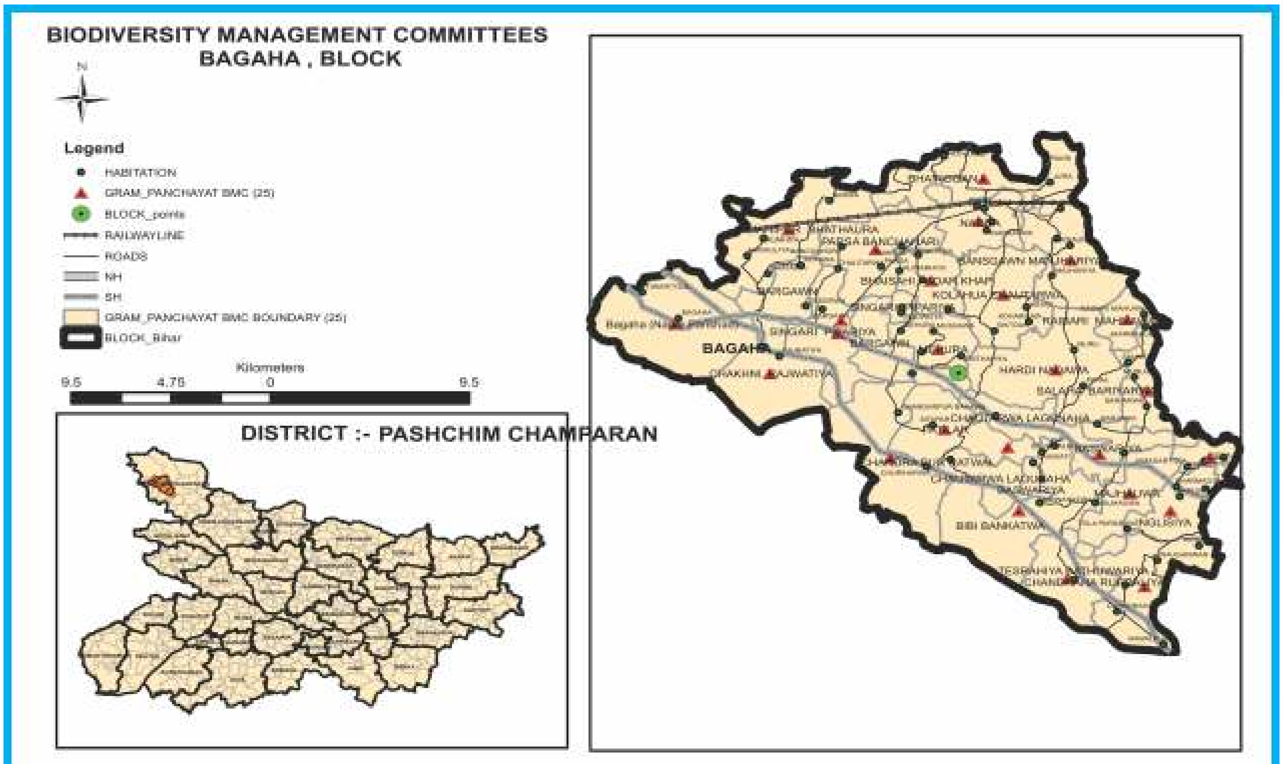

जि॰आई॰एस॰ मैप पंचायत स्तर बी॰एम॰सी॰

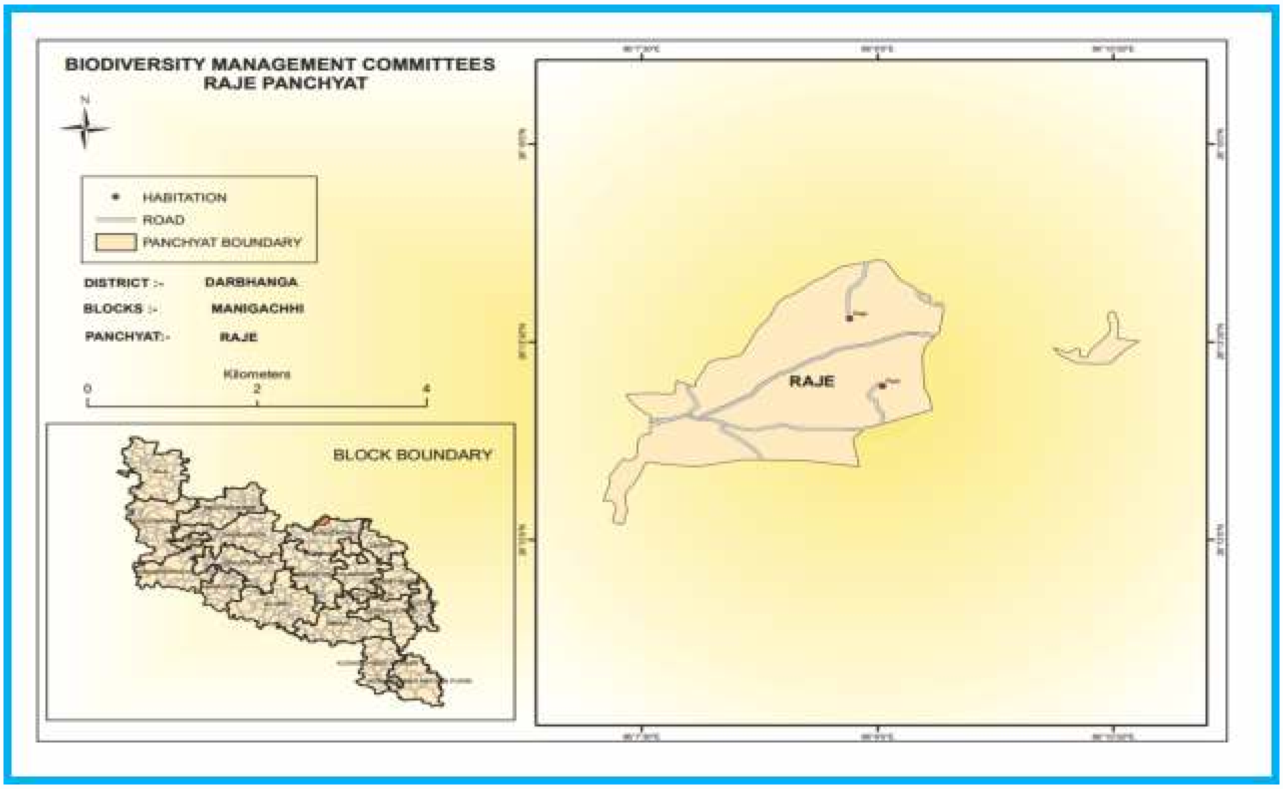

सरक्षंण की आवश्यकता तथा जैवि विधिवता ह्रास का निदान –

बिहार के बीजू आम की प्रजातियों, जो आम के मूल जीन फूल का निर्माण करती है, विलुप्त होती जा रही है। बिहार में आम के उत्पादन के आकड़े निम्नवत हैः–

2017–18		2018–19		2019–20		2020–21	
क्षेत्रफल (हजार हे० में)	उत्पादन	क्षेत्रफल (हजार हे० में)	उत्पादन	क्षेत्रफल (हजार हे० में)	उत्पादन	क्षेत्रफल (हजार हे० में)	उत्पादन
153.45	1533.64	158.50	1577.743	160.07	1588.86	160.24	1549.97

स्त्रोत– बिहार आर्थिक सर्वेक्षण– 2020–21 एवं 2021–22

वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक आम के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त कम है। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक उत्पादन देने वाली कलमी प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में बिहार के बीजू आम के क्षेत्रों में विस्तार तथा आम की प्रजातियों के ह्रास सबंधी सभी बिन्दुओं का अध्ययन निदेशक भा० कृ० अनु० प०– केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेरा, डाकघर काकोरी लखनऊ से अनुरोध किया गया एवं उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्पष्चात परिषद एवं भा०कृ० अनु० प०– केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा MOU किया गया है। उनके द्वारा Research Project पर्षद् को समर्पित किया गया है जो निम्नवत् हैः–

मा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture
रहमानखेरा, डाकघर: काकोरी, लखनऊ, २२६ १०१, उत्तर प्रदेश
Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow, 226 101, Uttar Pradesh
Contacts: Ph: 0522-2841022, 2841024 Fax: 0522-2841025 Website: www.cish.icar.gov.in

Dated: 15th February, 2024

PROGRESS REPORT OFTHE PROJECT

Name of the Research Project: *"Evaluation of diversity and decline of indigenous seedling mango of Bihar and study for its conservation strategy"*

Name of Funding Agency: *Bihar State Biodiversity Board, Patna*

INTRODUCTION

Apart from 1000 of varieties in Asia, there are 69 sp. of *Mangifera* in wild gene pools. Characterization and evaluation of mango germplasm is an imperative step for its utilization in breeding programs. Genetic resources have been used for conventional breeding mainly seedling selection and introgression of genes through hybridization. Therefore, the genetic resources are to be screened as donor for resistance genes against stresses. Now days, getting new varieties through seedling selections are becoming meager as the newer orchards are being planted using grafted plants only. It is well known fact that the diversity observed within a geographic region is derived from the varieties that are being grown in that region since time immemorial.

The 38 districts of Bihar have been divided into four zones (zone I, zone II, zone IIIA and zone IIIB) which are mapped into high, medium, and low categories based on fruit productivity. Bihar is the 4th mango-producing states after UP, AP and Karnataka and contributed 8 % of the total mango production in the country. The area under mango in Bihar is 1.6024 lakh hectare with production of 15.4997 lakh tons. The productivity of mango in Bihar is 9.67 tons per ha that exceeded the national productivity which is around 8.80 tons per ha.

Earlier, by the Government of Bihar, many districts of Bihar have been identified for particular mango variety like 1) West Champaran for '*Jarda*' (We are in progress to get its GI status); 2) Sitamarhi for '*Baimbaiya*'; 3) Darbhanga for '*Kalkattia*' (syn. Dalma); 4) Supaul for '*Gulabkhash*'; 5) Madhubani for '*Krishankbhog*'; 6) Madhepura and Katihar districts for '*Malda*' (syn. Langra); 7) Bhagalpur for '*Jardalu*' (GI obtained by Govt. of Bihar during 2018; 8) Munger for '*Churamba Malda'* 9) Samastipur for '*Bathua*' (syn. Kanchan), 10) Patna for '*Dudhia Malda*' (that needs to be addressed for its declining existing diversity) and 11) Buxer for '*Chausa*' mango.

In Bihar, the large seedling diversity of mango has not been fully evaluated and also there is sharp decline in the seedling mangoes in many districts. Therefore, a survey was conducted in the 12 districts (of Bihar) in collaboration with Bihar State Biodiversity Board (BSBB), Patna. The evaluation of seedling diversity was carried out for morphological, yield, maturity and fruit quality traits in the northern and eastern part of Bihar in India. The major rationale of the programme was to know what is the status of decline of indigenous seedling mangoes in Bihar? How drivers of climate changes effected distribution of seedling mango?, What is the genetic variability existing among mango seedlings ? And any conservation strategies have been adapted by mango seedlings growers to mitigate climate risks. We also had to identify any elite mango genotypes could be scaled up for its commercialization and adaption and or what could be its conservation plan.

Fig. a) and b) Seedling mango planted on bund of commercial orchard of mango in Hayaghat, Darbhanga and Rataura, Katihar, respectively c) Bearing in seedling mango at Saraiya, Muzaffarpur

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

1) To assess the decline of indigenous seedling mangoes;
2) To develop a conservation plan for seedling mango in Bihar;
3) To increase the farming of seedling mango in certain district of Bihar,
4) To export indigenous seedling mango, and
5) To study the diversity for their morpho-phenological traits as well as yield performance under the Bihar condition to evaluate its suitability in the states.

METHODOLOGY ADAPTED

The survey was done by frequent, visits during bearing to the different mango growing areas of Bihar. The selection of seedlings was based mainly on (i) plant characters, (ii) bearing habit, (iii) fruit quality, and (iv) Abiotic and biotic stress susceptibility. The peel colour, and pulp colour were noted following the Royal Horticultural Society (1986). Colour Chart and the quality of fruit were estimated following the standard methods. The physico-chemical characters were recorded. The different variability of characters was statistically analyzed. Later the selected clones will be vegetatively propagated by veneer grafting and 4 of each clone will be planted at the Horticulture Research Farm.

ACHIEVEMENTS OF 2023

Under the project, we surveyed the 12 districts of Bihar (in 25 development blocks) for assessment of seedling diversity and we identified 41 elite type genotypes of seedling mango which is being further evaluated (Table 1).

Table 1. Surveyed districts with blocks and no. of genotypes identified.

Sl. No.	Name ofthe Districts surveyed	blocks	No. of elite type mango seedli (identified)
1.	Saran	Sonpur	3
2.	East Champaran	Sangrampur, Mehsi, Kotwa	3 +2
3.	Muzaffarpur	Mushahari, Saraiya	2 +1 +1 +2
4.	Sitamarhi	Bathnaha	1
5.	Madhubani	Basopatti, Pandaul and Jhanjharpur	2 +3 = 5
6.	Bhagalpur	Sadar, Pirpainti, Sultanganj, Sabour	2
7.	Banka	Rajaun	2
8.	Darbhanga	Hayaghat, Bahadurpur	1 + 6
9.	Samastipur	Pusa, Sarayranjan	1
10.	Purnea	Jalalgarh, Sadar	-
11.	Katihar	Sadar Block	3
12.	Vaishali	Paterhi Belsar, Goraul	3 + 2
Total No. of elite type seedling identified			**41 genotypes collected for evaluation**

Fig. 1. a) Seedling of 'Dashahari' mango at Darbhanga yield 1500 fruit per trees at Darbhanga, Bihar; b)Coloured seedling mango from Pirapinti, Bhagalpur, Bihar

Fig. 2. a) Seedling of 'Langra' mango yield upto 200 kg with longer self life and aroma than cultivated langda; b) Fruit of mango seedling langda with average fruit weight 400 g with yield upto 2.50 quintal per tree at Mehsi, East Champaran, Bihar

Fig. *Rari* mango as seedling grown in Pandaul, Madhubani

Table 2 List of farmers having unique seedling mango with distinct attributes

Sl. No.	Name of Farmer (Name of Unique Seedling)	Address of the Farmer	Details of unique seedling mango	Remarkable attributes of seedling
1.	Mr. Kapildeo Jha **(Rari mango)**	Vill. Biraul, Block: Pandaul, (**Madhubani**)	▪ Has 3500 mango trees (including 25 seedling) ▪ Seedling of **Rari** (bearing even after 200 years) ▪ Bunch bearer (20-25 per bunch), Late maturity ▪ Yield : 10 q tree$^{-1,}$ Honey like taste ▪ Regular Bearer, Late maturity, Fibreless ▪ Also growing *Nakubi*(prominent beak), *Bhadwaria* (matured in September month), *Chorbi* (sweet at maturity).	○ **Rari** mango (bearing even after 200 years), ○ Bunch bearer (**20-25 per bunch**), ○ **Late maturity and Yield : 10 q tree$^{-1,}$**
2.	Shri. Kedar Prasad Thakur **(Biju mango)**	Vill. Baghnagari, Block: Saraiya, (**Muzaffarpur**)	▪ Regular bearer (18 year old tree) ▪ Highest yielder : 2,500 fruits per tree ▪ Late maturity (third week of July) fibreless, yellow at ripening ▪ Bunch bearers (15 fruits per bunch) ▪ Tolerant to fruit drop ▪ Average Fruit weight : 5 fruit per kg	○ Highest yielder: **2,500 fruits per tree,** ○ Bunch bearers (**15 fruits per bunch**), ○ **Tolerant to fruit drop**
3.	Shri. Jagannath Pandey (**Seedling of Malda**) (**Seedling of Mallika**)	Vill. Katarmala, Block: Goraul, (**Vaishali**)	▪ 10 % seedling ▪ Yield : 2.5 q per tree (15 year old) ▪ Average Fruit Weight : 417.6 g ▪ Fibreless, thin stone ▪ Tolerant to pests and diseases. ▪ Bunch bearer : 3- 4 fruits per bunch, TSS : 16.8 ^{0}B ▪ Dark yellow at ripening ▪ Pulp : 85 %	○ **Yield : 2.5 q per tree (15 year old)** ○ **Bigger sized fruit 417.6 g);** ○ **Bunch bearer**: 3- 4 fruits per bunch
4.	Mr. Sugandh Raj S/o Shri. Ayodhya Das **(Seedling of 'Kishanbhog**	Vill. Mishrawalia (Jagdish), Block: Paterhi Belsar, (**Vaishali**)	▪ Only had 5 % seedling ▪ Average Fruit weight : 281.96 g ▪ TSS : 21.93 ^{0}B ▪ Yield : 600-700 fruit per tree (15 year old) ▪ Regular bearer ▪ Resistant to pest and diseases ▪ Late maturity (July first week) ▪ Dark yellow at ripening	○ **TSS : 21.93^{0}B** ○ **Yield : 600-700 fruit per tree** (15 year old) ○ **Resistant to pest and diseases**
5.	Mr. Arun Kumar Pandey (**Seedling of 'Langra' Mango**)		▪ 3 quintal per tree (1,000 fruits) ▪ Regular bearer ▪ Late maturity (Last week of July) ▪ High fruit weight : 477.4 g ▪ Thin stone with TSS : 21.10 ^{0}B ▪ Dark yellow at ripening	○ **3 quintal per tree (1,000 fruits)** ○ Late maturity (**Last week of July** ○ High fruit weight : **477.4 g** ○ Thin stone with **TSS : 21.10^{0}B**

6.	Shri. Sanjay Kumar **(Seedling of 'Langra' mango)**	Vill. Mohabbat Chhapra, Block: Mehsi, (**East Champaran**)	▪ Average Fruit weight : 543 g ▪ TSS : 17.20 ^{0}B ▪ Yield : 300-400 fruit per tree (26 year old) ▪ Regular bearer ▪ Better aroma and higher shelf life than 'Langra' Mango ▪ Mid maturity (last week of June) ▪ Dark yellow at ripening	○ **AverageFruit weight : 543 g** ○ **Yield : 300400 fruit per tree**(26 year old) ○ **Better aroma and higher shelf life than 'Langra' Mango**
7.	Shri. Madhaw Kumar Thakur **(Seedling of 'Dashahari)**	Vill. Surhachatti, Block: Hayaghat, (**Darbhanga**)	• 50 % seedling mango • Average fruit weight : 268.15 g • TSS: 18.65 ^{0}B • Regular bearer • Yield : 2,000 fruits trees^{-1} • Late maturity (in last week of July) • Longer shelf life (15 days) • Bunch bearer (8-10 fruits per bunch)	○ Yield : **2,000 fruits trees**^{1} ○ **Longer shelf life(15 days)** ○ **Bunch bearer (8-10 fruits per bunch**
8.	Mr. Udai Kumar S/O Shri. Shivshankar Mishra (**Seedling of Sipia)**	Vili. Mishrawalia Afzalpur, Block: Paterhi Belsar, (**Vaishali**)	• **Yield**: **4 quintal per tree** • Bunch bearer • Size larger than 'Sipia' mango	○ **Yield : 4 quintal per tree**
9.	Shri. Kaushal Kishore Singh (**Seedling of Langra**)	Vill. Dwarikanagar, Block: Mushahari, (**Muzaffarpur**)	• Regular bearer (20 year old) • Yield : 600 kg per tree • Thin stone • No anthracnose after harvest • Pulp : 80 % • Shelf life : 7 days	○ **Regular bearer (20 year old)** ○ **Yield : 600 kg per tree** ○ **No anthracnose after harvest**
10.	Shri. Rajnath Jha (**Seedling of Rajbhog**)	Vill. Deep, Block: Jhanjharpur, (**Madhubani**)	• Has 1,200 mango trees (including **300** seedling) • Seedling of **Rajbhog**(35 years old) • Thin peel and stone • Mid maturity • Yield : **2,000 fruits tree**^{1} **/10 q tree**^{1} • Average fruit weight : 300 g • Alternate Bearer • Growing 35 variety of mango	○ Yield : **2000 fruits tree**^{1} **i.e. 10 q tree**^{1} ○
11.	Mr. Narottam Mishra	Vill. Mohna, Block: Rajaun, **(Banka)**	• Regular bearer • Average Fruit weight : 350 g • Yield : 2-3 q per tree (1,800 fruits per tree) • Thinnest Stone • Regular Bearer, Late maturity, Fibreless	○ Yield : 2-3 q per tree (**1,800 fruits per tree**) ○ **Thinnest Stone** ○ Regular Bearer, Late maturity, Fibreless
12.	Shri. Kalidas Banarjee (**Seedling of Kala Pahad**)	Vill. Rautara, Block: Sadar (Katihar)		

Fig. Fruiting in bunches (8-10 fruits per bunch) in seedling mango at Saraiya, Muzaffarpur

Fig. Thick peeled with 15 days shelf life of seedling mango of Malda at Goraul, Vaishali

Fig. Seedling of *Kishanbhog* at Paterhi Belsar, Vaishali

Table 3. List of farmers where visits were made and information on seedling mango collected

Sl. No.	Name of farmers	Address of the farmers	Status of seedling mango	Unique character to be validated
1.	Shri. Awadh Kishor Pandey	Vill. Panchrukhi, Block: Pirpainti (**Bhagalpur**)	Fibreless, mid maturity, thin stone with juicy	Sucking type seedling
2.	Shri. Shyamanand Singh	Vill. Tilakpur, Block: Sultanganj (**Bhagalpur**)	Fibreless, mid maturity Yield upto 200 kg per tree (10 year old)	**Large sized fruit : 1 fruit per kg**
3.	Shri. Tapeshwar Thakur		Average fruit weight : 250g, very tasty, mid maturity, yellow at ripening, Thinnest stone and peel.	**Highest yield : 2,000 fruit per tree**
4.	Shri. Balgovind Singh		Mid maturity, table, regular, average fruit weight : 150g	**Highest yielder : 5,000 fruits per tree** **Sucking variety**
5.	Shri. Subodh Sharma	Vill. Dharmagatpur Bathua, Block: Pusa (**Samastipur**)	Mid maturity, thin peel, dark black skin colour at maturity, Average fruit weight : 160 g	**Resistant to anthracnose**
6.	Shri. Pramod Mishra (**Seedling of Malda**)	Vill. Mohna, Block: Rajaun, **(Banka)**	Fruit weight : 250 g Bunch bearer, Regular bearing, light yellow at ripening, mid maturity Thinnest stone and peel	**Highest yield : 2,000 fruit per tree**
7.	Shri. Pankaj Singh	Vill. Jalhan, Block: Sangrampur (**East Champaran**)	Early and late maturity; both are available Regular bearer Sweet in taste at mature-green stage	**Ripened in August**
8.	Shri. Binda Singh		Ecotype of *Sipia* Regular bearer, yellow pulp with fibreless	Very late maturity (**matures in September**) **Yield : 3 quintal per tree** (35 year old)
9.	Shri.Rajeev Ranjan	Vill. Belahi Jairam, Block: Bathnaha (**Sitamarhi**)	**Chapra maldah**, regular bearer, table purposes, light yellow in colour, late maturity	**High yielder (8 quintalper tree)**
10.	Shri. Shambhunath Singh	Vill. Chachraha, Block : Basopatti, (**Madhubani**)	Table purposes, regular (green at ripening), yield 1 q per tree (6 year old) Average fruit size : 4 fruits per tree, fibreless	**Baramasi : 01** **Sajmaniaseedling : 3 fruits weight in one kg** **Matures in July.**
11.	Shri. Ajeetnath Mishra	Vill. Biraul Block: Pandaul (**Madhubani**)	Early in maturity, fibreless, regular bearer , reddish yellow at ripening, firm pulp	**Shelf Life : > 20 days** Yield upto 7-8 q per tree (30 year old)

12.	Shri. Rajeev Ranjan	Vill. Manika Bishanpur. Block: Mushahari (**Muzaffarpur**)	Mid maturity, fibreless, dark yellow skin colour, thin stone, alternate bearer.	○ **High yield (8-9 quintal per tree)**
13.	---do---- (Biju aam)		Average Fruit weight : 500 g Light read in colour, table purposes, large fruit size, alternate bearer Yield : 1.5-2.0 quintal per tree	○ Very late maturity (in Mid August) ○ Shelf life : 8 days
14.	Shri. Ranjeet Kumar (**Seedling of Malda mango**)	Vill. Chhapra Megh, Block: Mushahari (**Muzaffarpur**)	Has 150 tree of mango Average fruit weight : 400-500 g Table purposes, shelf life is similar to langra	○ **Yield : 10 quintal per tree**
15.	----Do------- (Biju aam)		Table purposes, dark yellow colour, bunch bearer (3-4) Yield : 2.5 quintal per tree (30-40 year old) **Cylindrical** in shape	○ **Large fruit (7 fruit per 5 kg)** ○ **Ripened with 'Shukul' mango (last week of July)** ○ **Sweeter than 'Chausa' mango**
16.	Shri. Vijay Kumar Mishra	Vill. Mishrawalia Afzalpur, Block: Paterhi Belsar, (**Vaishali**)	Has 200 mango tree (5 % are seedling) Regular bearer, fibreless, late ripening, Bunch bearer (8-10 per bunch) Dark yellow at ripening	○ **Baramasi mango : 01** ○ **Yield: 2000 fruit per tree**
17.	Shri. Bharat Mishra		Has 80 mango trees with 10 % are seedling) Regular bearer, light yellow at ripening, Bunch bearer, thin stone	○ **Yield 500 fruits per tree (15 year old).** ○ Late ripening, Fibreless
18.	Shri. Vinay Kumar Thakur	Vill. Pokharbhinda, Block: Bahadurpur (**Darbhanga**)	Two unique seedlings he has i.e. Vill. *Chakka* and another at *Piri Mauje*	
19.	Shri. Santosh Kumar Chaudhary	Vill. Bishanpur, Block: Bahadurpur (**Darbhanga**)	Has very late variety of seedling mango	
20.	Shri. Ramesh Chaudhary		Has seedling of high yielder	
21.	Shri. Shankar Chaudhary		Has large sized seedling	
22.	Shri. Punit Singh Dangi (**Seedling of Bathua)**	Vill. Bharpura Tola, Block: Sonpur (**Saran**)	Has 24 tree with 20 % seedling mango Sucking type Mid season maturity, Bunch bearer (405 per bunch) Yield : 1,000 fruit per tree	Sucking type
23.	Shri. Prem Singh Dangi	Vill. Pahadi Chak, Block: Sonpur (**Saran**)	Table purpose, bunch bearer (4-5 per bunch) Dark yellow in colour, fruit drop tolerant Poor shelf life	○ Very Late Ripening (In mid August) ○ Average fruit weight : 750 g ○ High peduncle strength
24.	Shri. Vijay Singh	Vill. Makhdumpur, Block: Sonpur (**Saran**)	Round fruited, regular bearer, Yellow colour like Sipia mango Mid maturity	○ Yield : 4 quintal per tree (35 years old) ○ Shelf life : 10 days ○ Has another sucking type mango

Fig. Seedling of *Langra* Mango (individual fruit weight is > 475 g) at Paterhi Belsar, Vaishali

Fig. Seedling of *Langra* Mango (individual fruit weight is > 540 g) at Mehsi, East Champaran

Fig. Seedling of *Langra* Mango (resistant to anthracnose) at Mushahari, Muzaffarpur

Fig. a) .Bunch bearing in Seedling mango at Bathnaha, Sitamarhi, b) Flowering in *Baramasi* mango at Sangrampur, East Champaran, c) use of seedling mango as wind break at Bahadurpur, Darbhanga

SUMMARY

After grouping of seedling clones on the basis of possession of desirable characters, only 28 seedling types were characterized which revealed the existence of a great variability like *Chorbi* (sweet at unripe stage), *Nakubi* (with prominent beak), *Badwaria* (matures in August), *Piri* (Yellow at ripening), *Rajbhog* (high yielder with thin peel and stone), *Rari* (bearing even after 200 year old trees, bunch bearer, honey like taste), *Laru ka Mithua*(high yielder with less sweet), *Sajmania* (late maturity, high yielder).

The superior characters were also recorded in the seedling of *Kishanbhog Sipia, Langda, Dashehari* and the yield varies from 1000-3000 fruits per tree (200-500 kg per tree), four seedling type had average fruit weight of 500-750 g, two genotypes found having shelf life of 10 days, three were fibreless, one genotypes ripened in October besides two identified as *Baramasi* mango. Four genotypes were identified as bunch bearer.

The seedling varieties selected will help the farmer in benefit sharing as and when they are registered. The 'on farm conservation' and use of these varieties in crop improvement programmes is possible.

ACTION PLAN FOR 2023-24

- Survey in the area of *Supaul, Saran, Siwan, Gopalganj, East Champaran, West Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur, Darbhanga, Madhubani, Sitamarhi, Sheohar, Kishanganj, Buxar, Ara, Munger, Jamui, Shekhpura* districts during upcoming fruiting season.
- Identification and multiplication of elite seedling mango (for table, sucking and processing purposes) and also suggesting conservation strategies and area expansion.
- Data tabulation, analysis and report writing.

PROJECT WORKERS

Principal Investigator
Dr. Devendra Pandey, Principal Scientist (Horticulture) Division of Crop Improvement and Biotechnology ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture Rehmankhera, PO. Kakori, Lucknow, 226 101, India Phones: + 91-9415516557; 6386731531 E-mail: devendra.pandey@icar.gov.in
Co-Principal Investigator
Dr. Sanjay Kumar Singh, Senior Scientist (Horticulture: Fruit Sciences) Division of Crop Improvement and Biotechnology ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture Rehmankhera, PO. Kakori, Lucknow, 226 101, India Phones: + 91- 9546891510; 9304475768 E-mail: sanjay.singh3@icar.gov.in; sanjayhor@rediffmail.com

Annexure-I

Orchard Visit Report

29th May, 2023- 7th June, 2023

- On 29th May 2023, I visited Sonepur and Amnaur Block of Saran district and Lakdi Nabiganj Block of Siwan District and identified 3 seedling mango elites.
- On 30th May, 2023, I made the survey in Sangrampur and Mehsi Block of East Champaran District and identified 3 seedling mangos.
- On 31st May 2023, I made the survey in Mushahari Block of Muzaffarpur district and Bathnaha Block of Sitamarhi district and identified 3 (2 +1) seedling mangos.
- On 1st June, 2023, I visited Basopatti Block of Madhubani district and identified 2 seedling elites.
- On 2nd June, 2023, I visited Pandaul and Jhanjharpur Block of Madhubani district and identified 3 seedling mango elites.
- On 5th June, 2023, I interacted with Head, Department of Horticulture and visited germplasm block of Mango located in BAU Sabour (Bhagalpur) campus.
- On 6th June, 2023, I visited Pirpainti and Sultanganj Block of Bhagalpur district and Rajaun Block of Banka District and identified 4 seedling elites.
- On 7th June, 2023, I had visited Dighra (Muzaffarpur), Hayaghat (Darbhanga) and Pusa (Samastipur) and identified 3 seedling mango for further evaluation.

17-22nd June, 2023

- On 17th and 18th June, 2023, I exhibited the 46 varieties of mango (including 26 from ICAR-CISH, RRS, Malda, West Bengal) during *Aam mahotsav* 2023 organized at *Gyan Bhavan*, Patna
- On 18th June, 2023, I delivered the talk on "*Export and Packaging of Mango*" during technical session of the *Aam Mahotsav* 2023 and interacted with the farmers/mango traders and orchardists.
- On 19th June, 2023, I made the survey [along with Dr. Sanjay Sahay, Prof. (Horticulture) of BAU, Sabour, Bhagalpur] in Bahadurpur and Hayaghat Block of Darbhanga District and identified 6 seedling mangoes.
- On 20th June, 2023, I made the survey (with Dr. Sanjay Sahay, BAU Sabour) in Pusa and Sarayranjan Block of Samastipur district and could not get promising genotypes of seedling mangos.
- On 21st June, 2023, I visited Jalalgarh and Sadar Block of Purnea district and Sadar Block of Katihar district and identified 3 seedling (mango) elites.
- On 22nd June, 2023, I visited Mehsi and Kotwa Block of East Champaran district, Mushahari Block of Muzaffarpur district and identified 3 seedling mango elites.

4th - 8th July, 2023

- On 5th July, 2023, I [along with Dr. D Pandey, Principal Scientist (Hort.)] made the survey in *Mushahari* and *Saraiya* Block of Muzaffarpur District and *Paterhi Belsar* and *Goraul* Block of Vaishali Districts and collected 7 samples of elite/plus type seedling mangoes.
- On 6th July, 2023, we have visited area of *Sultanganj* and *Sadar* Block of the Bhagalpur district.
- Same day (6th July, 2023), we interacted with PG student of Horticulture, BAU Sabour, Bhagalpur and discussed with Prof. Fiza Ahmad, Director (Seed and Farm), BAU Sabour, Bhagalpur and Dr. M A Aftab, Chairman, Dept. of Horticulture, BAU, Sabour (Bhagalpur) on criteria to be taken up while taking the fruit sample for assessment and its further evaluation.

MeriLIFE

व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में ग्रह–अनुकूल विकल्प चुनकर एक स्थायी जीवन शैली जीने का अधिकारी देता है। यह एप COP 26 माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश की गई LIFE को अवधारणा से प्रेरित है, जो बिना सोचे–समझे और बेकार उपयोग के बजाय सचेत और बेकार जानबुझकर उपयोग पर जोर देता है।

MeriLife एक बाजार है जहाँ युवा अपनी रूचियों का पता लगा सकते है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता पर केन्द्रित अवसर ढूंढ सकते है जो उनकी रूचियों से मेल खाते है, और उन मुद्दों पर कार्य करने के लिए साईन अप कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते है।

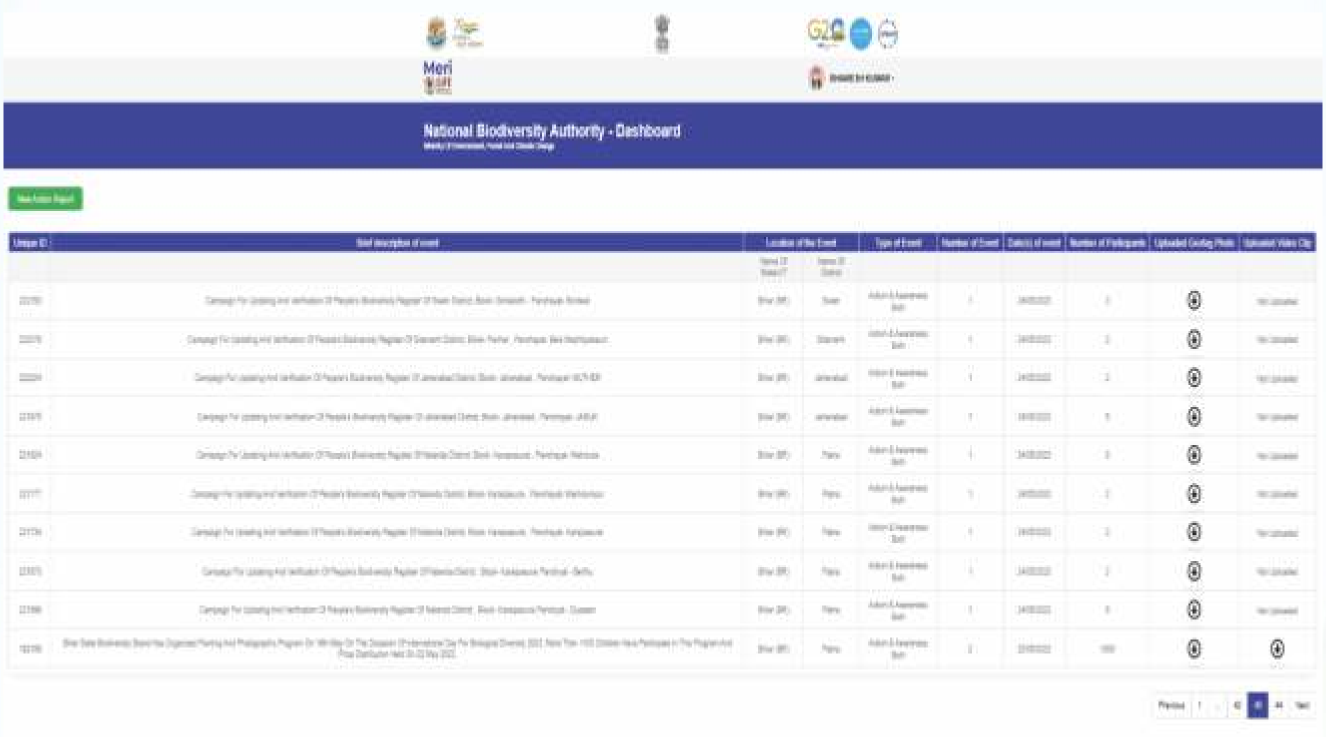

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के निदेशानुसार बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा जन जैव विविधता पंजी का Updation / verification किया गया है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का 400 विद्यार्थियों द्वारा जन जैव विविधता पंजी Updation / verification का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभिन्न महाविद्यालय (Botony / Zoology / Biological Disciplines) के के छात्र एवं छात्राओं का चुनाव किया गया था, जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर 400 ग्राम पंचायतों में जैव विविधता समिति के सदस्यों से संपर्क कर जन जैव विविधता पंजी (PBRs) का Updation / Verification दिनांक 23.05.2023 से 04.06.2023 तक किया।

Number of PBR submitted by the Students

Sl. No.	NAME OF STUDENT	District	Block	No. of PBR Submitted
1	Rahul Kumar	Nawada	Akbarpur	22
2	Vivek Kumar	Nalanda	Harnaut	10
3	SURENDRA KUMAR	Supaul	Pipra	15
4	Digvijay kumar	Saran	Sonepur	10
5	ASHISH SAURAV	Vaishali	Bidupur	6
6	NISHTHA ROY	Buxar	Dumraon	11
7	ASHUTOSH JHA	Madhubani	Antaradarhi	25
8	TARANAND KUMAR	Saharsa	Mahishi	10
9	Sajahidul Islam	Vaishali	Lalganj	10
10	TUSHAR ANAND	Banka	Barahat	10
11	RAHUL RAJ	Patna	Dulhinbazar	10
12	JYOTSANA GUPTA	Patna	Danapur-Shahpur	13
13	RITIKA KUMARI	Nalanda	Hilsa	22
14	SWAPNIL	Patna	Paliganj	10
15	AYUSHI GUPTA	Araria	Araria	10
16	NISHA RANI	Nalanda	Rahui	10
17	NIRAJ KUMAR	Bhojpur	Koilwar	17
18	Rupesh Kumar	Patna	Bihta	10
19	AMIT KUMAR	Saran	Dariyapur	11
20	RAHUL KUMAR	Supaul	Supaul	17
21	KUMAR SOHAN	Darbhanga	Bahadurpur	13
22	RAHUL KUMAR	Supaul	Chatapur	10
23	VIBHAKAR KUMAR	Khagariya	Khagariya	10
24	POONAM KUMARI	Jehanabad	Kakon	10
25	APARNA KUMARI	Araria	Narpatganj	10
26	ABHISHEK KUMAR	Siwan	Goriyakothi	15
27	SINKI KUMARI	Gaya	Khizirsarai	24
28	Rahul kumar dubey	Buxar	Beharampur	10
29	ROUNAK KUMAR	Jehanabad	Jehanabad	21
30	Diksha Kumari	Jehanabad	Ratnifaridpur	10
31	Priyanka kumari	Sitamarhi	Parihar	21
Total				**413**

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

For her active participation in the National Campaign on Updating Cum Verification of People's Biodiversity Registers (PBRs) organized by Ministry of Environment Forests & Climate Change, National Biodiversity Authority & Bihar State Biodiversity Board from 23rd May to 4th June 2023.

Dr. K. Ganesh Kumar, IFS
Secretary,
Bihar State Biodiversity Board

Dr. B. Balaji, IFS
Secretary,
National Biodiversity Authority

Azadi Ka Amrit Mahotsav

LiFE Lifestyle for Environment

G20

LiFE के तहत छात्रों के द्वारा जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन/सत्यापन

PBR
GPS Map Camera
Google
Jhitki, Bihar, India
VFPP+HR9, Jhitki, Bihar 852216, India
Lat 25.886389°
Long 86.486956°
25/05/23 01:06 PM GMT +05:30

कार्यालय
GPS Map Camera
Google
Rahimpur Dakshin, Bihar, India
FFQF+PMF, Rahimpur Dakshin, Bihar 851204, India
Lat 25.489222°
Long 86.474357°
29/05/23 12:07 PM GMT +05:30

PBR
GPS Map Camera
पोखाईन, बिहार, भारत
G8G4+HV8, पोखारहण-अकोढ़ीं मार्ग, पोखाईन, बिहार 802113, भारत
Lat 25.526589°
Long 84.307217°
28/05/23 11:16 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bhabhangama, Bihar, India
W23P+9GV, Bhabhangama, Bihar 813109, India
Lat 24.903543°
Long 87.036266°
26/05/23 12:30 PM GMT +05:30
Google

वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पौधों की अपनी अलग भूमिका होती है, जिनका Energy Flow तथा Nutrients Cycling में योगदान होता है। पर्यावरण वन, एवं जलवायु विभाग बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपन किया गया है एवं किया जा रहा है फिर भी बहुत से ऐसे वृक्ष जो जैव विविधता के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन्तु उन्हें न तो वनोरोपन कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे हैं और न ही आम जनों द्वारा अपनी भूमि या सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं या उन्हें बहुत सीमित संख्या में रोपित किया जाता है। जैव विविधता महत्व के ऐसे प्रजातियों के रोपन के द्वारा एक तरफ इन वृक्षों के Wild Gene Pool की प्रतिरक्षा होगी। वहीं ऐसे वृक्ष पारिस्थतिकी तंत्र में जलवायु परिवर्तन, प्रदुषण इत्यादि से होने वाले कुप्रभाव का सामना करते हुए समस्थिति (Homeostasis) प्रदान करेंगे।

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः फाल्सा (Grevia asiatica), आंवला (Emblica Officinalis), बेल (Aegle marmelos), जामुन (Syzygium cumini), नीम (Azadirachta indica) का बीस हजार (20,000) पौधों का रोपण किया गया है। वन प्रमंडल मुंगेर, वन प्रमंडल दरभंगा, रोहतास वन प्रमंडल, रोहतास एवं अररिया वन प्रमंडल अररिया में वृक्षारोपन कार्य संपादित किया गया है। प्रत्येक प्रमंडल में पाँच–पाँच हजार पौधों को जैव विविधता प्रबंधन समिति की सहयोग से वृक्षारोपन किया गया है एवं एक सम्पोषण का कार्य किया जा रहा है।

वृक्षारोपण हेतु पौधशाला में 2 वर्ष का पौधों को तैयार किया गया है। पौधशालाओं में पौधों की लम्बाई लगभग 12 से 16 तथा कॉलर का Diameter 2 cm से ज्यादा तैयार किया गया है।

अंतराष्ट्रीय जैव विधिता दिवस–2023

दिनांक 22.05.2023 को संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2023 के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, सचिव बिहार राज्य जैव विविधता परिषद् द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक, बिहार, निदेशक, पारिस्थतिकी एवं पर्यावरण तथा निदेशक संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना उपस्थित रहे।

प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस समारोह का आयोजन बच्चों एवं आमलोगों को जैव विविधता के संरक्षण की अनिवार्यता के प्रति सजग एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किया जाता है।

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2023 का *theme "From Agreement to Action: Build Back Biodiversity"* है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा वर्ष 2023 में विद्यालयों के छात्रों एवं छात्रा में विविधता के प्रति जागरूक करने हेतु उनके विभिन्न वर्ग–समूहों के लिए चित्रकारी तथा फोटोग्राफी की प्रतियोगिता का आयोजित स्थानीय संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना में दिनांक 19.05.2023 को सम्पन्न हुई। उसमें करीब 35 विद्यालयों के लगभग 2000 (दो हजार) छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। छात्र–छात्राओं को तीन Group-A (Std-1 to 4) Group-B (Std-5 to 8) एवं Group-C (Std-9 to 12) विभक्त कर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

अंतराष्ट्रीय जैव विधिता दिवस–2023 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम

LiFE
G20
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
जैव विविधता दिवस

AWARD WON BY BIHAR STATE BIODIVERSITY BOARD,

Title : I.T Initiatives of Bihar State Biodiversity Board

Bihar State Biodiversity Board has participated for SKOCH Awards, 2023 for the first time. BSBB qualified for semi-finals by voting amongst the participants from all over India. On 18th January, 2024 Secretary of BSBB, Dr. K. Ganesh Kumar (IFS) in presence of all the participants from all over the India and other officials presented a presentation on the IT Initiatives of BSBB which is categorized into three parts – eBMC, e-PBR and Heritage Tree App.

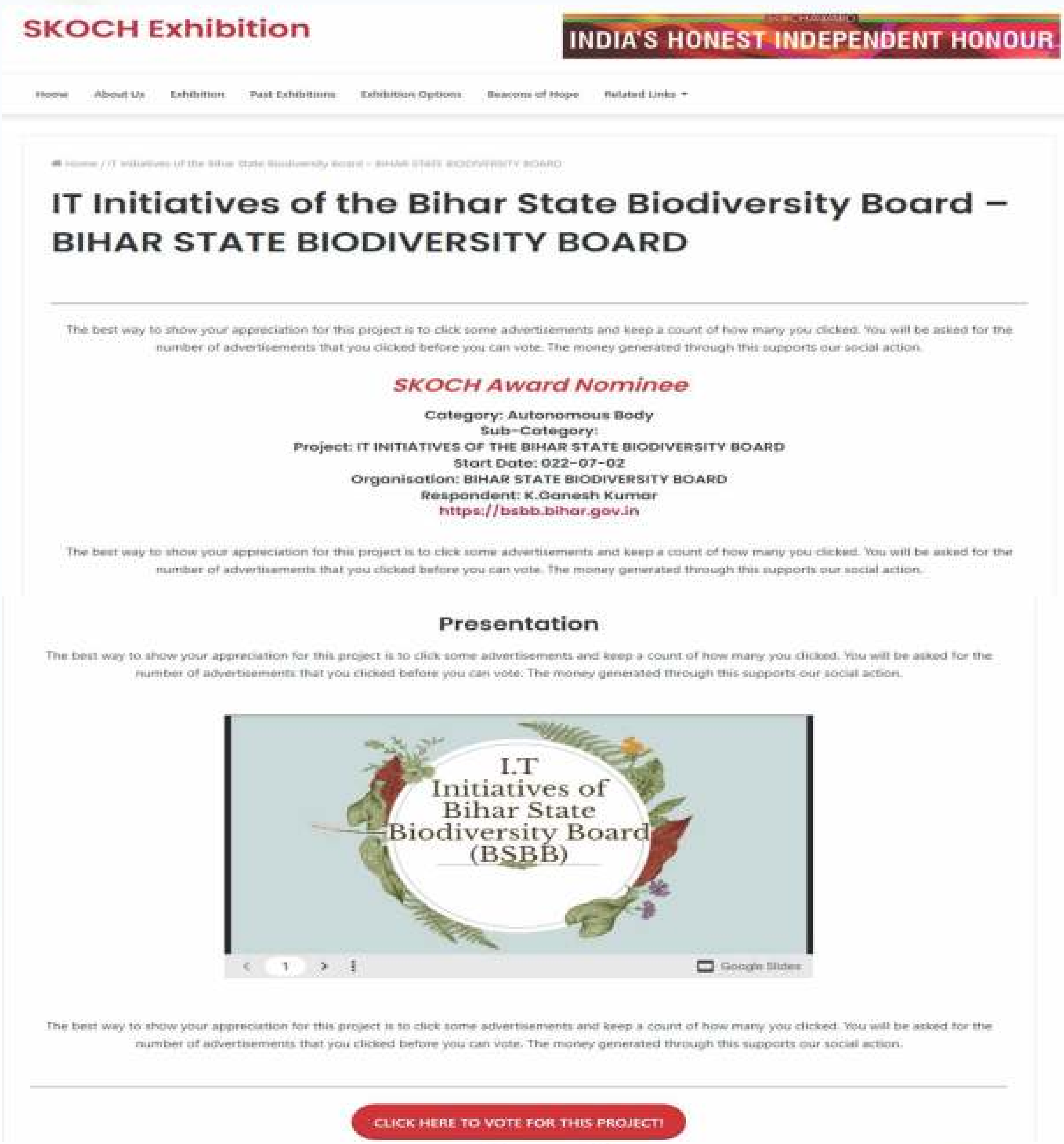

The Board has won the Semi-final award.

SKOCH GROUP

SEMI-FINALIST
SKOCH ORDER OF MERIT

This is to certify that

IT Initiatives

Bihar State Biodiversity Board

has qualified the Semi-Finals of SKOCH Award 2023

Sameer Kochhar, Chairman, SKOCH Group

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम, 2023) की धारा – 22 के अंतर्गत गठित एक वैद्यानिक एवं स्वायतशासी निकाय है जिसे अधिनियम के अन्तर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियत करने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों तथा समुदायों के हित में उपयोगकर्ताओं से जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–7 सपठित धारा–24 के अनुपालन व अनुक्रम में जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन हेतु अधिनियम की धारा 18(1)21, जैव विविधता, 2017 के नियम–19 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशिका/विनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है।

भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड के अन्तर्गत एकचारी पंचायत एवं पिरपैंती प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रसबन्ना, पंचायत, राजगाँव, अराजी, बारा, सलेमपुर, मोहनपुर मधुबन एवं बाबूपुर पंचायत से व्यापार/क्रय–विक्रय किया गया है। सम्बंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों का सहमति कार्यालय को प्राप्त है। व्यापारकर्त्ता एवं पर्षद् के साथ अनुबंध एक वर्ष के लिए किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

क्रम संख्या [illegible] तिथि [illegible] मूल्य [illegible] शीट संख्या ।

AT 177676

क्रेता का नाम एवं पता [illegible]

मनेन्द्र प्रसाद
लo नंo 46/89
पटना समाहरणालय

पटना कोषागार
6 JUN 2023
पटना

<u>जैव संसाधनों तक पहुँच एवं लाभ सहभाजन</u>
<u>(Access & Benefit Sharing) हेतु व्यवसायी एवं बिहार राज्य जैव</u>
<u>विविधता पर्षद् के मध्य अनुबंध पत्र</u>

श्री अजय कुमार, श्री राम ट्रेडिंग, पता – शेरमारी बजार, पीरपैंती, भागलपुर– 813209, जिन्हें अग्रेतर "आवेदक" संबोधित किया गया है

..............प्रथम पक्ष

एवं

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पाँचवाँ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना–800023, जिन्हें एतद् पश्चात् "पर्षद्" संबोधित किया गया है

.... द्वितीय पक्ष

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

आवेदनकर्त्ता का नाम/पता	क्रय मुल्य का 3% राशि	लाभ हेतु दावाकर्त्ता	राशि
श्री संजय कुमार जॉनपुरी, शेरघाटी बाजार, पीरपैंती, भागलपुर	24,180/–	**सम्बंधित जैव प्रबंधन समितियां**	24,180/–
श्री अजय कुमार, शेरघाटी बाजार, पीरपैंती, भागलपुर	5,520/–	**सम्बंधित जैव प्रबंधन समितियां**	5,520/–

भागलपुर में जैविक संसाधनों का क्षेत्रिय सर्वेक्षण

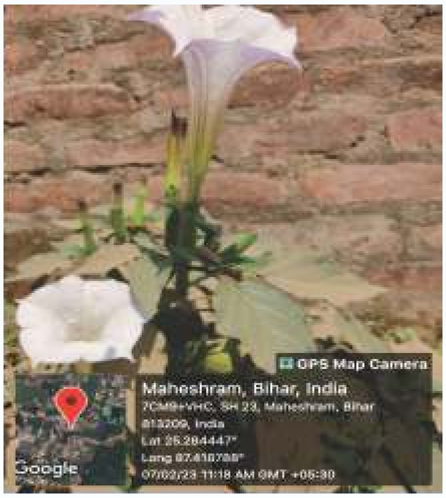

इस मामले में उल्लेखित राशि से सम्बंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के क्षेत्र विशेष में जैव संसाधनों के संरक्षण विकास पर खर्च किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना

आवश्यक सूचना हिन्दुस्तान, दिनांक 05 जनवरी, 2023

बिहार राज्य से संबंधित जैव संसाधनों तक पहुँच, अनुसंधान, जैव सर्वेक्षण, जैव उपयोगिता एवं जैव वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी कार्य–कलाप बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना के माध्यम से होगा।

नोटः– **1.** जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम 2023) की धारा 41(2) एवं बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 की धारा 19 एवं जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 की धारा 3 के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि जिस प्रक्षेत्र से जैव संसाधन संग्रहण की जायेगी उस पंचायत के जैव विविधता प्रबंधन समिति और बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना की सहमति आवश्यक है। **2.** जैव सर्वेक्षण और जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए फायदा बंटाने का ढंग, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा किया जायेगा। उल्लंघन करने पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायगी। **3.** बिहार के सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधीन जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग नियमानुसार करना सुनिश्चित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें,

Ph -0612-2952412 / Mob-9470405190

(डॉ० के० गणेश कुमार) सचिव

PR- 014615 (Forest) 2023-24 **बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना**

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

जैव विविधता पंजिक उन्नयन, पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति अध्यक्षों एवं सदस्यों का प्रशिक्षण

योजना के उद्देश्य

जैव विविधता अधिनियम–2002 की धारा–41(1), जैव विविधता नियमावली, 2004 के नियम–22(6) तथा बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 की के नियम 26(6) के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जनों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी को तैयार करना है। तदनुरूप जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों को जन जैव विविधता पंजी तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता, पंचायतों में पदस्थापित, कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार, 41 कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों, गंगा प्रहरी तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिको द्वारा उपलब्ध करायी गयी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यों को कराने की बाध्यता थी। प्रारंभिक जैव विविधता पंजी तो तैयार हो गयी है, किन्तु इन जन जैव विविधता पंजियों का मूल्यांकन तथा उनकी गुणवत्ता में उन्यन की नितान्त आवश्यकता है, जिसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ो का संग्रहण तथा जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों से विचार–विर्मश आवश्यक है।

इस कार्य के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय के लिए आंकड़ो का संग्रहण तथा पूर्व में तैयार जिला स्तरीय जन जैव विविधता पंजी (PBR) का उन्यन के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा तैयार किए गये जिला स्तरीय, जन जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता वर्द्धन जैव विविधता प्रबंधन समिति के जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर के सदस्यों का प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन के लिए निम्न कार्य किया जा रहा है।

(क) जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा तैयार किए गये जन जैव विविधता पंजियों का अनुशीलन।

(ख) जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा प्रखण्ड स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने तथा जन जैव विविधता पंजी में उन्यन हेतु प्रविष्टि करने के लिए प्रशिक्षण का कार्य।

(ग) अनुशीलन के आधार पर जन जैव विविधता पंजियों की कमियों को रेखांकित करना तथा इन्हें दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

(घ) जिले के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीण निकायों (प्रखण्ड तथा पंचायत) तथा शहरी निकायों के लिए तैयार किए गये जन जैव विविधता पंजी से आवश्यक सूचनाएँ एकत्र करना।

(ङ) प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से जैव संसाधनों से संबंधित अतिरिक्त सूचनाओं/आँकड़ों का संग्रहण करना।

(च) जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर जैव संसाधनों संबंधी जिले की विशिष्ठ सूचनाओं का सत्यापन करना एवं अतिरिक्त सूचनाओं/आँकड़ों का संग्रहण करना।

(छ) सूचनाओं का जन जैव विविधता पंजी में समावेशन, परिमार्जन तथा प्रकाशन।

बिहार राज्य जैव विविधता परिषद् द्वारा दिनांक– 09.02.2024 को छपरा (सारण) जिला के पंचायत, प्रखण्ड स्तर एवं जिला स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण छपरा स्थित प्रेक्षागृह (वन प्रमंडल सारण कार्यालय के समीप) में दिया गया है। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जिला परिषद् की अध्यक्षा

श्रीमति जैयमित्रा देवी द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में सारण जिला के (318) ग्राम पंचायत, (20) प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय (1) जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रशिक्षण में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:–

(1) जैव विविधता का सामान्य परिचय।

(2) जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं नियमावली (2004) का उद्देश्य।

(3) बिहार जैव विविधता नियमावली 2017.

(4) जैव विविधता पर्षद् का कार्य।

(5) जैव विविधता प्रबंधन समिति का जन जैव विविधता पंजी (PBR) के निर्माण में भूमिका।

(6) एक्सेस और बेनिनिट शेयरिंग (ABS)

(7) जैव विविधता संरक्षण में जैव विविधता प्रबंधन समिति की भूमिका।

PBR निर्माण

सारण वन प्रमंडल, छपरा
बिहार सरकार

बिहार सरकार
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्
एक दिवसीय प्रशिक्षण
MEDIA GALLERY

बिहार सरकार
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

जैव विविधता को ले प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों को दिया गया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में शामिल अतिथि व पदाधिकारी.

छपरा (सदर). पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जैव विविधता के संरक्षण व सतत उपयोग के लिए जिला से लेकर पंचायत स्तर तक गठित 339 जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अपने दायित्वों का निर्वहन आम जनों के परामर्श से करना होगा. ये बातें बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के सचिव डॉ. के गणेश कुमार, जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी, उपनिदेशक सुनील कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय वन संरक्षक मुजफ्फरपुर एके द्विदी, डीएफओ सारण रामसुंदर एम ने शुक्रवार को स्थानीय प्रेक्षागृह में सभी पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित करने के बाद कही. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जैव विविधता प्रबंधन समिति तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए आयोजित किया गया है. इस अवसर पर उप निदेशक सुनील कुमार सिन्हा ने जैव विविधता समिति के कार्य, जैव विविधता पंजी के निर्माण आदि की चर्चा की. मुख्य वण संरक्षक एके द्विवेदी ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन कमेटियों का गठन किया गया है. ऐसी स्थिति में जैविक विविधता का सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण, आवासों का संरक्षण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्म, पालतू जानवरो और सुक्ष्म जीवों के नश्लों का संरक्षण आदि कार्य करना है. इस दौरान सरकार द्वारा चलायी जा रही है. कृषि वाणिकी योजना अंतर्गत इस बसंत काल में ईटीपी पौधा लगाने हेतु किसानों को जागरूक करने की सलाह दी गयी.

जैव विविधता के महत्व के बारे में दी जानकारी

जैव विविधता की कार्यशाला में मौजूद अतिथि • जागरण

जासं, छपरा: शहर के प्रेक्षागृह में शुक्रवार को जिला के सभी पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एवं सारण वन प्रमंडल छपरा द्वारा आयोजित किया गया। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद जैव विविधता अधिनियम-2002 के अन्तर्गत गठित सरकार का एक स्वायत सांविधिक निकाय है।

इस पर्षद के द्वारा सारण जिला में पंचायत स्तर पर 318, प्रखण्ड स्तर पर 20 एवं जिला स्तर पर 1 समिति का गठन किया गया है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद सचिव डा. के गणेश कुमार ने जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा-41 (1), जैव विविधता नियमावली के बारे में जानकारी दी।

जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जनों को परामर्श से जन जैव विविधता पंजी को तैयार करना है। उप निदेशक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद सुनिल कुमार सिन्हा ने जैव विविधता पर्षद् की कार्य के बारे में बताया। वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकरी राम सुन्दर एम ने जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत जैव संशाधन तक पहुंचने एवं लाभ सहभाजन विषय पर चर्चा की। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एके द्विवेदी ने भूमि प्रजातियों, लोक किस्म, किस्म पालतू जानवरो और सूक्ष्मजीवों की नस्लों का संरक्षण के बारे में जानकारी दी। इसके पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जयमित्रा देवी ने दीप प्रज्वलित उद्घाटन किया।

दैनिक भास्कर पटना 23-05-2023

फोटोग्राफी-चित्रकारी के विजेताओं को प्रशस्तिपत्र

पटना | संजय गांधी जैविक उद्यान में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इसमें प्रतियोगिता के विजेताओं को वन विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। बिहार राज्य जैव विविधता के सचिव डॉ के. गणेश कुमार ने बताया कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा इस वर्ष विद्यालय के छात्रों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करने और उनके विभिन्न वर्ग-समूहों के लिए चित्रकारी तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया है।

जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की जरूरत

- पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि जैव विविधता का करती है वर्णनः डीएफओ
- पंचायत स्तर पर 318, प्रखंड स्तर पर 20 व जिला स्तर पर एक समिति का हुआ गठन

छपरा, एक संवाददाता। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्रांति लाने की जरूरत है। सदियों से मानव समाज का विकास का नजदीकी व संबंध वनस्पतियों व प्राणियों से रहा है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डॉ के गणेश ने शहर के प्रेक्षागृह में जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंध समितियों के अध्यक्षों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद व सारण वन प्रमंडल छपरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में जिले की सभी पंचायतों के पंचायत समिति, जिला परिषद स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इसमें बताया गया कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद जैव विविधता अधिनियम-2002 के अन्तर्गत गठित सरकार का यह एक स्वायत संवैधानिक निकाय है। इस पर्षद के द्वारा सारण जिला में पंचायत स्तर पर 318, प्रखण्ड स्तर पर 20 व जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। पूर्व में जिप अध्यक्ष जयमित्रा देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डॉ के गणेश कुमार ने कहा कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जैव विविधता पंजी को तैयार करना है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के उपनिदेशक सुनील कुमार सिन्हा ने जैव विविधता पर्षद् के कार्य, जैव विविधता प्रबंधन समिति का जन जैव विविधता पंजी के निर्माण कार्य से सम्बंधित विंदुओं पर विस्तार से लोगों के बीच साझा किया। वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकरी सारण वन प्रमंडल छपरा रामसुंदर एम ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि व विविधता जैव विविधता का वर्णन करती है।

उन्होंने कहा कि जैव संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग, जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों, समुदायों के हित में उपयोगकर्ताओं से जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के बारे में बताया। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक मुजफ्फरपुर ए के द्विवेदी ने जैव विविधता अधिनियम पर प्रकाश डाला व कहा कि जैव विविधता के संरक्षण को बढावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जैव विविधता समिति के गठन की परिकल्पना की जाती है।

जैव विविधता प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते डीएफओ रामसुंदर एम।

जैव विविधता पर हुई प्रतियोगिता

पटना। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद की ओर से सोमवार को संजय गांधी जैविक उद्यान में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें जैव विविधता पर चित्रकारी व फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। छात्र-छात्राओं को तीन समूह में बांटकर प्रतियोगिता कराई गई।

मौके पर बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डॉ. के गणेश कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के सीपी खंडूजा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक प्रभात कुमार गुप्ता, सुरेन्द्र सिंह और संजय गांधी जैविक उद्यान के निदेशक सत्यजीत कुमार, रेंजर आनंद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जैव विविधता प्रतियोगिता के विजेता बच्चे। प्रतियोगिता के विजेताओं को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सम्मानित किया।

होता रहा जैव विविधता का ह्रास तो जीवन होगा मुश्किल

जैविक उद्यान में बच्चों को पुरस्कृत करते वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी • जागरण

जागरण संवाददाता, पटना : जैव विविधता को संरक्षित करना होगा। जैव विविधता का ह्रास होता रहा तो मानव का पृथ्वी पर रह पाना मुश्किल हो जाएगा। सभी को अपने स्तर पर जैव विविधता को बचाए रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। सोमवार को संजय गांधी जैविक उद्यान के जू एजुकेशन हाल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने ये बातें कहीं।

वे बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद की ओर से अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चित्रकारी और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर 29 बच्चे पुरस्कृत किए गए। प्रधान सचिव ने कहा कि बच्चों की फोटोग्राफी और चित्रकारी आकर्षक है। भारत में अन्य देशों की तुलना में जैव विविधता की स्थिति अच्छी है। अभी सचेत नहीं होंगे तो कुछ दिनों में कई प्रकार की विविधताएं नजर नहीं आएंगी। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद ने पंचायत स्तर पर जैव विविधता पर्षद का गठन कर लिया है। इससे संरक्षण के कार्यों में तेजी आएगी।

इस अवसर पर बिहार राज्य जैव विविधता प्रबंधन समिति के सचिव डा. के. गणेश कुमार ने चल रहे कार्यों के बारे में बताया। हेरिटेज ट्री एप के माध्यम से राज्य के 50 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों का डाटा तैयार किया जा रहा है। बीजू आम के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। दस हजार से अधिक बड़े पौधे तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास सीपी खंडूजा, प्रभात कुमार गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, जू निदेशक सत्यजीत कुमार आदि मौजूद थे।

पर्यावरण के प्रति छात्राओं को किया गया जागरूक

जागरण संवाददाता, पटना: पटना वीमेंस कालेज सृष्टि क्लब एवं इको टास्क फोर्स ने तरुमित्र के सहयोग से सोमवार को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एनसीसी महिला बटालियन के कमांडिंग आफिसर कर्नल अमित सिन्हा, शशिकांत कुमार फादर राबर्ट एथिकल, इको टास्क फोर्स की उपाध्यक्ष शोभा श्रीवास्तव एवं सृष्टि क्लब संचालक मिनाक्षी मिश्रा (भूगोल विभाग) ने विचार व्यक्त किया। "बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ" विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

पंचायतों में जैव विविधता की पड़ताल करेंगे विद्यार्थी

पंजी की जांच से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लेते छात्र और छात्राएं। • जागरण

जागरण संवाददाता, पटना : जैव विविधता प्रकृति का उपहार है। इसी से सृष्टि है, इसी से खुशियां। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सौगात है, जिसे संजोकर रखने की चुनौती भी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके प्रति गांव-गांव तक जागरूकता के लिए पंचायतों में जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन किया गया। अब विज्ञान एवं पर्यावरण विषय से स्नातक कर छात्र-छात्राओं को इसके सत्यापन का दायित्व दिया गया है।

गांव-गांव की कृषि हो या पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, मिट्टी, फसल, पंचायत स्तर पर जैव विविधता पंजी बनाई गई है। इससे उस क्षेत्र में इसके बारे में पता चल सकेगा। इसे अद्यतन करने के साथ ही 23 मई से चार जून के बीच सत्यापन भी किया जाएगा। बिहार की 8058 पंचायतों में 7890 में समिति का गठन हो चुका है। इनमें 400 पंचायतों की पंजी की जांच का दायित्व छात्र-छात्राओं को दिया गया है। बुधवार को चयनित छात्र-छात्राओं को पंजी की जांच से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव डा. के गणेश, उप निदेशक सुनील कुमार सिन्हा और ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के बिहार प्रभारी डा. गोपाल शर्मा ने दिया। चयनित विद्यार्थी पंचायतों में जैव विविधता के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्रामीणों से मिलकर पंजी का सत्यापन करेंगे। वे उनके साथ फोटो भी लेंगे और जीओ टैगिंग कर भेजेंगे। पंजी पर अध्यक्ष, सदस्य सचिव के साथ उनका भी हस्ताक्षर होगा। प्रत्येक जिले के चयनित पंचायतों में पंजी का सत्यापन किया जाना है। पर्षद से सभी प्रशिक्षित विद्यार्थियों को पंजी की प्रति उपलब्ध कराई गई।

इन 31 बिंदुओं पर किया जाएगा अध्ययन

पलायन करने वाले लोगों की संख्या के साथ फसलीय पौधे, फलदार पौधे, चारे की फसलें, खर पतवार, फसलों के कीट, पालतू जानवरों के लिए बाजार, भूमि की स्थिति, जल दृश्य, मिट्टी के प्रकार, फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे, सजावटी पौधे, इमारती लकड़ी के पौधे, पालतू जानवर, मत्स्य पालन, पालतू जानवर सहित अन्य तरह के बाजार व मेला, वन्य जैव विविधता (वृक्ष, झाड़ियां, जड़ी-बूटी, कंद, घास लताएं आदि), महत्वपूर्ण वन्य पौधों की प्रजातियां, जलीय जैव विविधता, महत्वपूर्ण जलीय वन्य पौधों की प्रजातियां, औद्योगिक उपयोग वाले वन्य पादप, फसलों के जंगली संबंधी, सजावटी पौधे, खाने वाले पौधे, प्रजातीय पौधे, अन्य जंगली पौधे, वन्य प्राणी (स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट अन्य), वनस्पतियां, जीव-जंतु और स्थानीय महत्व की अन्य सूचनाएं अध्ययन में शामिल हैं।

नियमावली में संशोधन

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा स्थानीय निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यकाल का परामर्शी समिति के कार्यावधि तक विस्तार किया गया। (अनुलग्नक –3)

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 द्वारा अंतः स्थापित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–14 (5), धारा–39(5), धारा–66 (5) एवं धारा–92(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा "परामर्शी समिति" का गठन किया गया है। अब चूँकि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्य उनके लिए गठित परामर्शी समितियों द्वारा किया जायेगा, ऐसी परिस्थिति में इनके अनुरूप ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के क्षेत्राधिकार में कार्यरत "जैव विविधिता प्रबंधन समिति" के कार्यकाल को विस्तारित करने के लिए, बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2021 के प्रभावी होने की तिथि से बिहार जैव विविधता नियमावली–2017 के नियम 25(1) के बाद निम्न रूप से उप नियम 25 (1) (क) जोड़ा गया।

"25(1) (क) स्थानीय निकायों के भंग होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्यकाल स्थानीय निकायों में गठित "परामर्शी समिति" के कार्यरत अवधि तक विस्तारित होगा।"

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1943 (श0)

(सं0 पटना 999) पटना, शुक्रवार, 10 दिसम्बर 2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2021

सं० 2/वन्यप्राणी–17/2021/969(ई०)प०/व०/ज०/प०––जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा–63 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली बिहार जैव विविधता (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत् होगी।

2. बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम–25(1) के बाद निम्नरूप से उप नियम–25(1)(क) जोड़ा जाता है –

"25(1)(क)–स्थानीय निकायों की कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा गठित "परामर्शी समिति" के कार्यकाल तक विस्तारित होगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 9th December 2021

No.-2/Vanparani-17/2021/969(ई०)—In exercise of the powers conferred by section 63 of Biological Diversity Act 2002 (Act. 18 of 2003) the government of Bihar, hereby makes the following Rules to amend the Bihar Biological Diversity Rules 2017:

1. (1) These rules may be called the Bihar Biological Diversity (Amendment) Rules, 2021.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It will come into force with effect from the date of its publication in official gazette.

2. After Sub Rule 25(1) of the Bihar Biological Diversity Rules 2017, the following sub-rule 25(1)(ka) shall be added:

"25(1)(ka) on the expiry of tenure of the local bodies, the tenure of the Biodiversity Management Committees shall be extended till the tenure of the Advisory Committees, constituted by the Government for discharging the function of local bodies."

By the order of the Government of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Principal Secretory to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 999-571+500-डी०टी०पी०
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–पर्या0/वन–07/2007............................../प0व0ज0प0, पटना–15, दिनांक–..............

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित किए जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0 188 (ई.) दिनांक 27.03.2017 द्वारा "बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017" अधिसूचित की गई है।

उक्त नियमावली के नियम–25 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के स्तर पर जैव विविधता समिति के गठन का प्रावधान एवं इसके कार्यों को अभिनिर्धारित किया गया है। राज्य में जैव विविधता संरक्षण इस बात पर निर्भर करेगा कि समितियां, अभिनिर्धारित कार्यों को कितनी दक्षता से सम्पादित करती हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून स्तर के वन अधिकारी को भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं0 120 (अ) दिनांक 07.01.2009 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधिसूचित किया गया है। उक्त को प्रभावी बनाने हेतु तथा राज्य के स्थानीय निकायों में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के विभिन्न विषयों/कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रमण्डलों सहित) को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाभिक पदाधिकारी (Nodal Officer) घोषित किया जाता है।

संबंधित नोडल पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी अपने नियंत्री वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) को मासिक पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– पर्या0/वन–07/2007............................../प0व0ज0प0, पटना–15, दिनांक–........

प्रतिलिपि :– ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— पर्या0 / वन—07 / 2007............................... / प0व0ज0प0, पटना—15, दिनांक—........

प्रतिलिपि :— सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली—110003 / वन महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली—110003 / राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 5वां तल्ला, TICEL Biopark, Taramani, Chennai-600113 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— पर्या0 / वन—07 / 2007...992 (वि0)... / प0व0ज0प0, **पटना—15, दिनांक**—28/08/2020

प्रतिलिपि :— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / माननीय उप मुख्य (पर्या0, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28-8-20

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930

No. 68] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

का.आ. 120(अ).—जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उपर्युक्त अधिसूचना में :—

तालिका में क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और उनके कॉलम सं. 2 और 3 में की गई अनुरूपी-प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्त: स्थापित किया जाएगा, नामत: :—

क्रम सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
4.	वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रैंक से कम न हों	उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में

[फा. सं. 28-14/2008-सीएस-III (एन बी ए)]

ए. के गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2708(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009

S.O. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby make the following further amendments in the Notification No. S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008 namely :—

In the said Notification :—

In the TABLE, after Sl.No. 3, Sl.No. 4 and the corresponding entries in column No. 2 & 3 thereof, shall be inserted, namely :—

Sl.No.	Officer authorised to file complaints under Section 61 (a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
4.	Forest Officers not below the rank of Range Officers	In their respective jurisdictions

[F. No. 28-14/2008-CS-III (NBA)]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008.

155 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

आवंटन पत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना ।

वित्तीय वर्ष 2023–24

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष – 3435 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण उप-मुख्य शीर्ष–03 पारिस्थितिकी लघु शीर्ष – 102 निर्देशन तथा प्रशासन उपशीर्ष– 0004 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद विपत्र कोड– 19-3435031020001 विपत्र शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2023–24	विभाग से प्राप्त आवंटन का प्रतिशत निकास–	सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष
1	0004.31.04 सहायक अनुदान–वेतन	6703000	2211990	0	2211990	2211990	0
2	0004.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	40000000	13200000	0	13200000	13200000	0
	योग–0004–बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्	**46703000**	**15411990**	**0**	**15411990**	**15411990**	**0**

प्रति– प्रति– मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार को CFMS में प्रविष्टी की गई राशि को Approval हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार

ज्ञापांक– 13/बजट (जै०प०)–11/23–985 दिनांक– 10/04/2023

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद/सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार

ANNEXURE-IV
[Rule 35(E)]
BUDGET YEAR 2024-25

(IN RUPEES)

STATEMENT OF EXPENDITURE PROPOSAL FOR BUDGET DISCUSSION (ANNUAL SCHEME/ESTABLISHMENT AND COMMITTED)

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT-ENVIRONMENT & FOREST — SAO/DDO-

Demand No-19 — Major Head- 3435 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण — Submajor Head-03 पारिस्थितिकी

Minor Head- 102 निर्देशन तथा प्रशासन — Subhead-0004 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् पटना — Voted — (Rs. In Lakhs)

Object Head Code	Actuals			B.E. Current Year 2023-24	Actuals		R.E. Current Year		B.E. Ensuing year		Remarks
	Preceding Year III 2020-21	Preceding Year-II 2021-22	Preceding Year-I 2022-23		Up to 1st Six Month of Preceding Year 2022-23	Up to 1st Six Month of Preceding Year 2023-24	Proposed by controling Officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by controling Officer	Revised Proposal by Administrative dept.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0004.31.04 सहायक अनुदान (वेतन)	24.00	80.45	57.74	67.03	32.58	18.58	65.09	65.09	71.60		
0004.31.06 सहायक अनुदान (गैर–वेतन)	276.00	214.59	93.61	400.00	40.34	55.24	400.00	400.00	440.00		
कुल योग	300.00	295.04	151.35	467.03	72.92	73.82	465.09	465.09	511.60		

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना

LIVESTOCK BIODIVERSITY OF BIHAR

(Dr.K.Ganesh Kumar IFS*,*
Secretary, Bihar State Biodiversity Board , Bihar)

The Convention on Biological Diversity (CBD)'s ecosystem approach is a strategy for the integrated management of land, water and living organisms and the interactions between them that promotes conservation and sustainable use of biodiversity in an equitable sharing basis. The diverse nature of animal genetic resources, particularly in developing countries, provides a greater range of ecosystem services. Hence proper acknowledgement of the significance of livestock biodiversity would improve the management and conservation of animal genetic resources, thereby benefitting the ecosystem as a whole.

Livestock biodiversity provides various ecosystem services like *Provisioning services* (food, fibre, manure etc), *Cultural services* (spiritual and religious values), *Supporting services* (transport, draught power, recycling of waste products), *Regulating services* (seed dispersal) etc.

India is rich in Livestock diversity and endowed with indigenous germplasm of 50 registered breeds of cattle, 17 breeds of buffaloes, 34 breeds of goats, 44 sheep breeds and 10 breeds of pigs which plays a major role in providing various ecosystem services.

India is the world's largest milk producer, with 22 per cent of global production, followed by the United States of America, China, Pakistan and Brazil. Almost 50% of India's milk production comes from buffaloes alone.

The economy of the State of Bihar completely depends on agriculture and the allied sector as this sector alone contributes 20.92% of the GDP of the State. Bihar possesses 15.31 million cattle, 7.72 million buffaloes, 12.82 million goats, 0.21 million sheep and 0.34 million pigs. Besides, the State also possesses 16.53 million poultry population.

The Livestock germplasm of the Sate comprises three in cattle (viz. ***Bachaur, Gangatiri and Purnea red***), two in buffalo (***Diara and Kosi***) and two sheep (***Shahabadi, Seemanchali***) and one goat (***Black Bengal***), one pig (***Purnea***) and a duck (***Maithili duck***). Due to the scarcity of grazing lands and paucity of feed and fodder, organized rearing of these livestock germplasms is sporadic in the State of Bihar. There is more emphasis on small scale production systems involving more traditional knowledge rather than scientific principles. Besides, indiscriminate breeding and artificial insemination in the case of cattle have diluted the distinct native germplasm.

The focus of CBD being the preservation of native germplasms, it would be important to conserve the livestock biodiversity of the State for the various eco-services provided by them to the society. Characterisation of indigenous livestock populations would be the first step towards preserving the unique germplasm available in the State. The common characteristics and performance of indigenous breeds of livestock germplasm present in the State and are discussed below.

I.CATTLE breeds of Bihar

1. *Bachaur* cattle**:**

The breed name, 'Bachaur' came from the breeding tract which falls under the erstwhile Bachaur Parganas of Bihar. The distribution of *Bachaur* cattle falls under Sitamarhi, Darbhanga, East Champaran, Sheohar and Madhubani districts of north Bihar. The habitat extends up to the northern border of the country where it meets with Nepal and the tract is a permanent flood-prone zone. They are medium size in stature . Colour is generally white with splashes of grey hair on the forehead and neck region, however, few were found to possess varying degrees of brown coat colour also. The calves are generally white with a brownish shade of coat colour. The colour of the coat remains the same till 3 months of age and changes towards pure white after 3 months.Both males and females were horned. The udder is Small and the milk vein is not prominent.

Fig:1.*Bachaur* cow 2.*Bachaur* bull
3.*Bachaur* calf 4.*Bachaur* bullock

2. ***Gangatiri*** Breed:

Gangatiri breed of cattle is dual-purpose cattle that are distributed in the bordering districts of Bihar and eastern Uttar Pradesh and are mainly reared for draught and milk purposes. The breeding tract of this cattle is the southwest alluvial plain of the State and adjacent to the southern bank of the river Ganges. They are medium to large in size. Two coat colours of Gangatiri cattle like milky white and light grey white are seen. Both sexes are horned which were generally black in colour. Cows have medium-sized humps whereas bulls and bullocks have large size humps. The. udder is medium in size with visible milk vein in some cases.

This breed is mostly reared in small scale extensive system with strong interaction with other agricultural components. Based on the morphological characteristics, it can be said that this breed phenotypically resembles the closer ***Bachaur*** cattle of Bihar.

Figs. 1. *Gangatiri* cow-white variety 2. *Gangatiri* cow - grey variety
3. *Gangatiri* bull 4. *Gangatiri* calf

3. ***Purnea*** cattle:

Purnea cattle have been found distributed in the Seemanchal region of Bihar including Araria, Purnea and Katihar districts. The breed was also found in the adjoining areas of the Kishanganj, Supaul and Madhepura districts. It is called by the farmers as '*Desi ghai*' translated as indigenous cattle. The population of ***Purnea*** cattle was estimated to be around 9 lakhs. They are small to me.dium size. Exists in two different varieties viz. Grey coat and Red colour variety. Grey colour animals are found to be more in numbers than the Red ones. The horns were small to medium in size, oriented laterally and slightly forward. The udder is small and round in shape. Maximum growth was observed till 5 years of age. This breed is found to be low milk yielders but had a long lactation length.

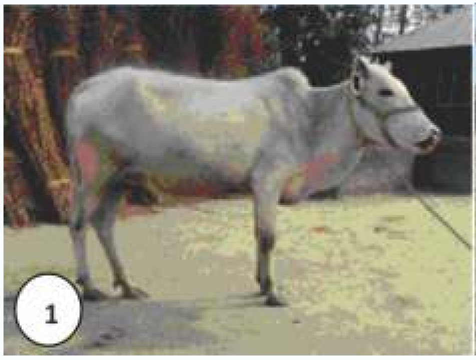

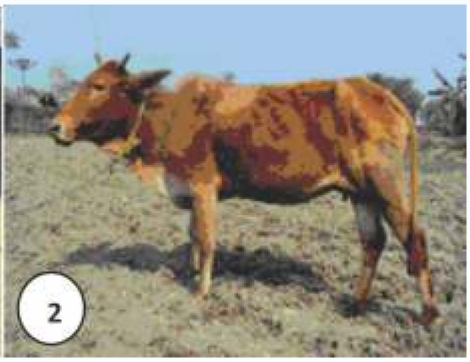

Figs. 1. Grey Purnea cow *2. Red Purnea* cow. *3. Purnea young* bull

Purnea cattle were used extensively for agricultural operations and pulling cartloads. To preserve this unique breed, preservation of germplasm of this cattle is required to be done through institutional mechanisms.

II. BUFFALO breeds of Bihar

Bihar is estimated to have around 3.91 million numbers of Buffalo population. The State has two indigenous breeds namely ***Diara*** and ***Kosi***.

1. ***Diara*** buffaloe:

The breeding tract of Diara buffaloes is almost linear along both sides of the banks of the Ganges and its tributaries from Buxar to Bhagalpur districts. This part is almost marshy for most of the year. They are medium-sized, docile animals. Normally black in colour with very few are found with light brown coats called 'Bhura' by farmers. ***Diara*** buffaloes are purely reared for the purpose of producing milk. The average per day milk produced by Diara buffaloes was found to be 7.8 litres. Apart from use as fertilizer, the dung is mainly used for *Goita* (dried dung cakes) making.

Figs. 1. ***Diara*** bull 2. Female ***Diara*** buffalo 3. ***Diara*** Calf

2. ***Kosi*** buffaloe:

Kosi buffaloes were distributed in Madhepura, Supaul, Araria, Purnea and Katihar districts, mostly along the areas of the Kosi river. But typical ***Kosi*** breed with distinct morphological features is found in the Madhepura district. They are medium sized animals with grey colour Horns , loosely curved and curved inward. The bulged forehead is the unique characteristic of Kosi buffaloes. The dorsal line of the body had a convex bending in the region of thoracic vertebrae, extended backwards with another small convex bending over the pelvic girdle.

Fig. ***Kosi*** Female buffalo

These buffaloes are appeared to be genetically and phenotypically different from other local buffaloes and possesses unique characteristics which descend every generation.

III. GOAT breeds of Bihar:

***Black Bengal* Goat**

The Black Bengal goat population is the highest in West Bengal followed by Bihar and Jharkhand. In Bihar, the population is recorded as 10.2 million. This Goat is known for its excellent meat and skin quality. Though this breed is found throughout the State, maximum density has been recorded in the districts of Gopalganj, Banka, Vaishali, Khagaria, Nawada, East Champaran, Purnia, Bhagalpur, Muzaffarpur and Katihar etc. They are small in size but the structure is compact. Colour is usually, coloured black but it is also found in brown, white or grey shades. T. wo types of ears *viz.,* erect and pendulous were noticed in the Black, Brown and White colour varieties of Bengal goats. Beard is observed in both male and female goats of Black Bengal.

Black Bengal doe *Black Bengal buck*

The Bengal breed is known for its high quality meat production. Skin is highly valued in the leather industry.This breed is highly prolific and twinning and triplet percentages have been recorded as 44.5% and 23.2% respectively.

IV. SHEEP Breeds of ihar:

The estimated population of sheep in Bihar is 2.40 lakhs. Two sheep breeds viz. Shahabadi and Seemanchal sheep breeds are seen in Bihar. However, many non-descriptive animals are also seen which may be a mixture of these two breeds and other non-native breeds.

1. Shahabadi Sheep:

Shahabadi breed of sheep was distributed in the districts of Patna, Bhojpur, Buxar, Kaimur, Rohtas, Aurangabad Gaya and Jehanabad districts of Bihar. The Shahabadi breed of sheep was estimated to be 1.38 lakhs in Bihar, which is around 58 % of the total sheep population of Bihar. They are medium in size with light brown with dark brown patches on the head, neck and back regions. Both the sexes were generally polled but horns were seen in few males. The peculiar characteristics of this breed are possession of long tail (> 40 c.m).

Figs.1. Ewe of ***Shahabadi*** sheep 2. ***Shahabadi*** Ram

2. *Seemanchali* Sheep:

Seemanchali sheep were distributed in the Supaul, Araria, Purnea and Katihar districts of Bihar. The Seemanchali sheep is co-existing with the local cattle called '***Purnea*** cattle'. It was estimated that the population size of Seemanchali sheep was around 20,000. The population is significantly higher in Supaul and Katihar districts of Bihar. The animal is medium in size with dark brown to black coat colour throughout the body. Males possessed short horns with an average length of horns being 8.6 cm. The females were mostly polled. The horns were mostly straight. They Possesses long tail like Shahabadi sheep.

Dark brown ***Seemanchali*** ewe

Black ***Seemanchali*** ewe

V. PIG Breeds of Bihar

Purnea pig:

Purnea is a black coloured medium-sized pig found in Purnea and Katihar districts predominantly and Sitamarhi, Madhubani, Supaul and Madhepura districts also. These pigs have a compact body and pot belly. A thick line of bristle is present on the top-line from neck to shoulders which give the animal a wild look. Animals are characterized by round faces; short conical and erect ears; and small, thick and slightly concave snouts. Skin is thick with neck folds in mature animals. Adult body weight varies from 41 to 50 kg. Litter size at birth varies from 4 to 6. These pigs are ferocious in nature. Population size is approximately 1,00,000 – 1,20,000.

Fig. ***Purnea*** pigs

Purnea pigs were medium-sized animals with a black coat. The body is long and slender with a dorsal line of black hair from the thoracic region and coccygeal region. The Head was small and conical in shape whereas the face was slightly concave. Comparing the body size, the legs were slender and long. Ears were erect; Eyes were small and eyelashes were black in colour. Legs were long and thin whereas the tail is always lifted upward and forward. There were 8-12 mammary glands in the sows and they were small in size.

VI. DUCK Breeds of Bihar

Maithili Duck:

India ranks second in the world in terms of duck population after Indonesia, with a total duck population of around 23 million of which indigenous ducks constitute more than 90% of the total duck population. The native ducks are preferred over the exotic duck breeds because their eggs fetch a higher price.

Maithili ducks are unique in their morphological features with attractive mosaic plumage colour patterns. They are invariably found in the Seemanchal region of Bihar including Kishanganj, Katihar, Purnea, Araria, East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Supaul and Madhepura districts.

Dark brown mosaic plumage pattern with white ring on neck

Light brown mosaic plumage pattern without white ring on neck

Dark brown drake

In both drake and duck, the prominent bill colour is yellow and the shank is orange to red colour in most of the varieties. The egg is cream in colour.

------------******-----------

BUTEA MONOSPERMA
Image Courtesy : Dr. K. Ganesh Kumar, IFS

प्रकाशक :

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना- 800023

https://bsbb.bihar.gov.in/

bsbbbihar@gmail.com

0612-2952412

Printed by: INDIA PRINTERS, CINEMA ROAD, HAJIPUR